



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062024-254845
CG-DL-E-21062024-254845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2024/ज्येष्ठ 29, 1946

No. 422]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2024/JYAISHTHA 29, 1946

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2023

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हता के लिए दिशानिर्देश

फा. नं. 36002/16/2022/एनसीवीईटी .—

1. प्रस्तावना

1.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की अनेक बढ़ती हुई विकासपरक अनिवार्यताओं को पूरा करना है। एनईपी 2020 मुख्य रूप से यह दर्शाती है कि समग्र विकास और विषयों तथा पाठ्यक्रमों के व्यापक विकल्प शिक्षा की नई अद्वितीय विशेषता होनी चाहिए और "पाठ्यक्रम", "पाठ्येत्तर" या "सह-पाठ्यक्रम" के बीच, "कला", "मानविकी" और "विज्ञानों" के बीच या "व्यावसायिक" या "शैक्षिक" विषयों के बीच कोई कोष विभाजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आशय और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यवाहिका (एनसीआरएफ) विकसित किया गया है जो स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक या कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को निर्बाध रूप से समेकित करने का एक सर्व समावेशी कार्यवाहिका है। यह अंतर को हटाकर, लोचशीलता और साचलता सुनिश्चित करके और सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच शैक्षिक सामानता स्थापित करके एनईपी 2020 के विजन और आशय को प्राप्त करने में एक बड़ी उपलब्धि होगा। ऐसे समेकन से विद्यार्थियों की आगामी प्रगति के लिए अनेक विकल्प खुल जाएंगे और व्यावसायिक स्ट्रीम से सामान्य शिक्षा और इसके विपरीत गमन में प्रवेश और पुनः प्रवेश संभव बनेगा और इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा और कौशल मुख्य धारा में आ जाएंगे।

1.2 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 दिसंबर, 2018 को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में दीर्घावधिक और अल्पावधिक दोनों में कार्यरत संस्थानों के कार्यक्रम को विनियमित करने और ऐसे संस्थानों के कार्यक्रम के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। एनसीवीईटी का एक प्रमुख कार्य अर्हताओं को अनुमोदित करना है ताकि उन्हें राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यवाह (एनएसक्यूएफ) से सुमेलित किया जा सके जो एक ऐसा राष्ट्रीय समेकित दक्षता आधारित कार्यवाह है जो व्यक्तियों को वांछित दक्षता स्तर प्राप्त करने, नौकरी के बाजार में जाने और सही समय पर अपनी दक्षताओं का और अधिक उन्नयन करने के लिए अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने के लिए वापस आने में सक्षम बनाता है। इससे किसी व्यक्ति को अपनी व्यावसायिक यात्रा के साथ निरंतर और जीवन भर प्रशिक्षण लेना संभव बनता है और इस प्रकार “कमाते समय सीखें” की संकल्पना को सही मायनों में कार्यान्वित कर रहा है।

1.3 वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा कौशल पारितंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यवाह (एनएसक्यूएफ) के तहत सुमेलित और अनुमोदित अर्हताओं को एक से आठ के बीच स्तरों पर रखा जाता है और अधिकांशतः प्रशिक्षार्थियों को केवल प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। पूर्ववर्ती एनएसडीए ने कतिपय डिप्लोमा अर्हताओं को अनुमोदित और सुमेलित किया था। तथापि, डिप्लोमा अर्हताओं के अनुमोदन और सुमेलन के संबंध में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं थे। एनसीवीईटी के बनने के बाद पारितंत्र को युक्तिसंगत बनाने के दौरान डिप्लोमा अर्हताओं संबंधी दिशानिर्देशों की जरूरत पुनः एनईपी 2020 और एनसीआरएफ के आलोक में विशेष रूप से उभर कर सामने आई है।

1.4 भारत को विश्व की कौशल संबंधी राजधानी और विनिर्माण केंद्र बनाने का माननीय प्रधान मंत्री का विजन है। एनईपी 2020 और एनसीआरएफ जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ सरकार ने देश में वीडटी और कौशल के लिए एक समर्थकारी और प्रोत्साहित करने वाला वातावरण प्रदान किया है। डिप्लोमा जैसी उच्च स्तरीय अर्हता को कौशल डोमेन के भीतर औपचारिक बनाना इसके महत्वाकांक्षी मूल्य को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और सही मायनों में एनईपी और एनसीआरएफ के प्रावधानों के जरिये व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा को समेकित करेगा।

1.5 इसके अलावा, हाल में एनसीवीईटी को डिप्लोमा अर्हताओं को सुमेलित और अनुमोदित करने के लिए प्रदानकर्ता निकायों (एवी) से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। एवी ने अनुरोध किया है कि डिप्लोमा प्रमाण पत्रों को समर्थ बनाने से प्रशिक्षार्थियों को प्रगति के उच्चतर अवसर मिलेंगे और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्वाकांक्षी मूल्य में वृद्धि होगी। इस मामले पर 30 जून, 2022 को हुई राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 20वीं बैठक में चर्चा की गई थी। इस मामले को नोट करते हुए एनएसक्यूसी ने एक समिति गठित करने का निदेश दिया जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), एमएसडीई, एसएससी और अन्य संबंधित निकायों के सदस्य शामिल होंगे ताकि एनएसक्यूएफ के सुमेलन और व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल से संबंधित “डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत)” के अनुमोदन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किये जा सके। तदनुसार, 28 जुलाई, 2022 को एक समिति गठित की गई थी। विस्तृत विचाराधीन मुद्दों के साथ-साथ समिति का गठन **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न है। यूजीसी और एआईसीटीई सहित समिति सदस्यों ने दिनांक 05/12/22 और 24/02/23 के पत्रों द्वारा क्रमशः व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटी) में डिप्लोमा अर्हताओं के लिए इन दिशानिर्देशों से सहमति जतायी है।

2. कार्यक्षेत्र

2.1. तदनुसार, इन दिशानिर्देशों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र से संबंधित डिप्लोमा और डिप्लोमा (उन्नत) अर्हताओं के सुमेलन और अनुमोदन के लिए एनएसक्यूएफ को समर्थ बनाने हेतु तैयार किया गया है। यह केवल एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदानकर्ता निकायों पर ही लागू होते हैं।

3. डिप्लोमा योग्यताएं

3.1 “डिप्लोमा” शब्द को विश्व भर में अनेक तरह से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसे किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदत्त एक प्रमाण पत्र को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो यह बताता हो कि किसी ने अधिगम के किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अधिगम के ऐसे पाठ्यक्रम प्रायः समान विषय के किसी केंद्र क्षेत्र में उच्चतर स्तर के होते हैं। कभी-कभी डिप्लोमा पेशेवर/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आमतौर पर

अर्जित किसी विशिष्ट शैक्षिक पुरस्कार को दर्शाता है।

3.2 व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा कौशल में किसी डिप्लोमा का अर्थ किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी उच्चतर क्रम की एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित अर्हता होगा जिससे कोई केंद्रित नौकरी या अधिगम प्राप्त होता हो। इस प्रकार डिप्लोमा अर्हता की मूल विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क. यह एक दीर्घावधिक अर्हता है।

ख. यह एक उच्चतर स्तर का अधिगम है। अर्थात् स्कूली शिक्षा से उच्चतर, परंतु किसी डिग्री कार्यक्रम में लेटरल प्रवेश के प्रावधानों के अंतर्गत को छोड़कर कोई डिग्री न देता हो।

ग. यह सामान्यतः अधिगम का एक केंद्र या विशिष्ट क्षेत्र होता है जो बाजार में किसी व्यवसाय/नौकरी में भूमिका तक पहुंचाता है।

4. वर्तमान परिदृश्य

4.1 एआईसीटीई और यूजीसी जैसे सरकारी नियामकों के दिशानिर्देशों के अंतर्गत उनके मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने पर औपचारिक “डिप्लोमा/पोस्ट/पीजी डिप्लोमा” प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ऐसे प्रमाण पत्रों को उच्चतर स्तर की तकनीकी/सामान्य शिक्षा में सरकारी भर्ती और लेटरल प्रवेश के लिए व्यापक तौर पर स्वीकृत किया जाता है।

4.2 इसके अलावा, इस व्यवस्था में विभिन्न गैर-विनियमित स्वतंत्र संगठन हैं और वे भी अपने पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण पूरा करने पर डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। डिप्लोमा को एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और ये सामान्यतः सरकारी भर्ती और उच्चतर स्तर की सामान्य शिक्षा में लेटरल प्रवेश के लिए पात्र नहीं होते हैं।

4.3 यूजीसी अधिनियम द्वारा विनियमित “डिग्री” शब्द से अलग “डिप्लोमा” शब्द का प्रयोग किसी अधिनियम के अंतर्गत सीमित नहीं है। इससे किसी संस्थान को प्रशिक्षार्थियों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति मिल जाती है। तथापि, ऐसे संस्थान प्रशिक्षार्थियों को प्रमाणित करते समय एआईसीटीई/केंद्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों आदि द्वारा “विधिवत रूप से अनुमोदित” शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

4.4 एआईसीटीई, यूजीसी और अन्य सहित देश में डिप्लोमा प्रदान करने की वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

5. कौशल में डिप्लोमा योग्यता लाने की आवश्यकता और तात्कालिकता

5.1 महत्वाकांक्षा सृजित करना: माननीय प्रधान मंत्री जी का विजन भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि वीडटी और कौशल कार्यक्रमों में इस पारितंत्र में अर्हता का महत्व हो ताकि प्रशिक्षार्थियों द्वारा वे बांछित हों। वर्तमान में वीडटी और कौशल पारितंत्र से प्रशिक्षार्थी केवल उनके द्वारा किए गए सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। डिप्लोमा नाम इस पारितंत्र में एक प्रतिष्ठा रखता है और एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित डिप्लोमा की अनुमति देने से न केवल प्रशिक्षार्थियों के मन में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रमों के प्रति महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, बल्कि प्रमाणन की बड़ी हुई मान्यता के जरिये रोजगार अर्हता में भी वृद्धि होगी।

5.2 क्रेडिटीकरण: आगामी राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यवाह (एनसीआरफ) सभी शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं का क्रेडिटीकरण प्रदान करता है जिसमें स्कूली, उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम सभी शामिल हैं। एनसीआरफ अधिगम के सभी प्रकारों और विषयों जिनमें व्यावसायिक शिक्षा,

प्रशिक्षण और कौशल शामिल हैं, को समान महत्व देता है। इससे एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित डिप्लोमा धारक किसी प्रशिक्षार्थी को समान अवधि और एनसीआरफ स्तरों की किसी अन्य शैक्षिक कार्यक्रम के समान क्रेडिट प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल सामान्य शिक्षा और जीवन भर अधिगम सहित अनेक प्रवेश और निकास तथा अन्य विषयों में प्रगति जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए क्रेडिट एकत्र करने और उपयोग करने का अवसर मिलेगा, बल्कि एनएसक्यूएफ डिप्लोमा को अधिगम क्षेत्र और नौकरी के बाजार दोनों में समान महत्व भी मिलेगा।

5.3 एमई-एमई मार्ग प्रदान करना: औपचारिक डिप्लोमा अर्हताओं से वर्तमान पॉलीटेकनिक जैसी सामान्य शिक्षा के लिए आगामी लिंकेज में सक्षम बना सकती हैं जैसे वर्तमान पॉलीटेकनिक में इंजीनियरिंग डिग्री के लिए विकल्प हैं।

5.4 मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन: एनएसक्यूएफ अर्हताएं व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में एक बड़ा स्थान रखती हैं, परंतु अधिकांश प्रशिक्षार्थियों को केवल प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। विभिन्न संस्थानों द्वारा कौशल प्रणाली में प्रदत्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र अधिकांशतः अविनियमित हैं जिससे प्रायः प्रशिक्षार्थियों, शिक्षा क्षेत्र और उद्योग के मन में भ्रम और गलत व्याख्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा, मानकीकृत प्रतिमानों, पाठ्यक्रम और विषयवस्तु के अभाव के कारण अधिगम परिणामों में एक डिप्लोमा अर्हता से दूसरे में भारी अंतर होता है। अतः डिप्लोमा अर्हताओं में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत प्रतिमानों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के जरिये डिप्लोमा अर्हताओं को औपचारिक बनाने की जरूरत है।

5.5 सामान्य शिक्षा के साथ एकीकरण और समतुल्यता: एनईपी 2020 और एनसीआरफ के आरंभ के साथ विषय पर अधिगम सहित समग्र शिक्षा की संकल्पना और अधिक शैक्षिक संस्थाओं में होगी। इससे औपचारिक डिप्लोमा अर्हता रखने वाले किसी प्रशिक्षार्थी को न केवल तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में सीमित अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि सामान्य शिक्षा में भी अवसर मिलेंगे। उच्चतर शिक्षा मॉडल में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने से डिप्लोमा के द्वारा एकीकृत अधिगम विकल्प उपलब्ध होंगे।

5.6 वीडिटी और कौशल के सभी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय (डिप्लोमा) अर्हताओं को सक्षम बनाना:

एनएसक्यूएफ अनुमोदित अर्हताएं वर्तमान में सभी क्षेत्रों में मौजूद हैं, परंतु इनमें केवल प्रमाण पत्र दिये जा रहे हैं। वर्तमान एआईसीटीई डिप्लोमा कार्यक्रम केवल इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी क्षेत्रों और पैरा मेडिकल और प्रबंधन और क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में ही डिप्लोमा प्रदान कर रहे हैं। अतः इसमें भारी अंतर है और कृषि वस्त्र, खनन बीएफएसआई आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में डिप्लोमा अर्हताओं की आवश्यकता है। एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित ऐसे डिप्लोमा अर्हताएं जो उद्योग के साथ भागीदारी में चलाये गये भविष्य के पाठ्यक्रमों सहित इन सभी क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करेगी। इससे सभी संगत क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा को तेजी से फैलाने में मदद मिलेगी और शैक्षिक दायरा/उपलब्धि बढ़ेगी जिससे एनईपी 2020 में यथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होगी।

5.7 उद्योग मान्यता: “डिप्लोमा” नाम की उद्योग और नौकरी के बाजार में एक प्रतिष्ठा और मान्यता है। इस प्रकार इसे औपचारिक रूप देने और प्रशिक्षार्थियों को “डिप्लोमा” प्रदान करने से रोजगार अर्हता और आकांक्षा में वृद्धि होगी। ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें एआईसीटीई या यूजीसी द्वारा नहीं विनियमित किए गए संस्थानों जैसे आईटी क्षेत्र में एप्टेक और एनआईआईटी द्वारा डिप्लोमा प्रदान किये जाते हैं और उद्योग द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। विशेष रूप से वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों जिनमें ऐसे कार्यक्रमों की स्वीकार्यता पहले से है, में ऐसे डिप्लोमा से वीडिटी और कौशल में डिप्लोमा अर्हता की प्रतिष्ठा और मान्यता में और अधिक वृद्धि होगी।

5.8 अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता: किसी डिप्लोमा की उद्योग में बढ़ी हुई मान्यता और प्रतिष्ठा केवल राष्ट्रीय

नौकरी बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इसका महत्व बढ़ता है। हम पहले से ही मध्य पूर्व के सभी देशों में डिप्लोमा धारकों को मांग देखते हैं। अतः सभी क्षेत्रों में डिप्लोमा प्रमाणन का दायरा बढ़ाने से प्रशिक्षार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय अर्हता कार्यवाहकों के साथ समतुल्यता बनाने से डिप्लोमा अर्हता के औपचारिकरण के जरिये परस्पर मान्यता से ऐसी गतिशीलता में सुविधा भी उपलब्ध होगी।

6. वीडटी और कौशल डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत) के लिए फ्रेमवर्क

6.1. ऊपर उल्लिखित खंड से यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल पारितंत्र के लिए डिप्लोमा कार्यक्रम को औपचारिक बनाने की एक निर्धारित आवश्यकता है; डिप्लोमा प्रदान करना किसी अधिनियम के अंतर्गत डिग्री देने की तरह सीमित नहीं है, और वीडटी तथा कौशल के लिए डिप्लोमा तंत्र को औपचारिक बनाने की आवश्यकता है ताकि डिप्लोमा के दुरुपयोग को कम किया जा सके और प्रमाणन के साथ संलग्न आकांक्षी मूल्य को सभी वीडटी और कौशल प्रशिक्षार्थियों के लिए औपचारिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

7. मूल सिद्धांत

7.1 स्पष्ट अंतर: एआईसीटीई और एनसीवीईटी के विनियामक दायरे के बीच एक स्पष्ट अंतर सुनिश्चित किया जाएगा जिससे किसी विनियामक अतिव्यापन का परिहार होगा। एनसीवीईटी केवल व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा कौशल क्षेत्र के लिए डिप्लोमा अर्हताओं को अनुमोदित करेगा।

7.2 एनसीवीईटी मान्यता: केवल एनसीवीईटी – मान्यता प्राप्त प्रदानकर्ता निकाय डिप्लोमा अर्हताओं के कार्यान्वयन में सक्षम होंगे। एनसीवीईटी ऐसे प्रदानकर्ता निकायों के लिए अतिरिक्त मानक विहित करेगा जो अपेक्षित अवसंरचना और अन्य संसाधन स्थापित करने के लिए डिप्लोमा अर्हताएं चलाने की इच्छा रखते हैं।

7.3 एनएसक्यूएफ का अनुपालन: सभी डिप्लोमा अर्हताएं राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यवाहकों (एनएसक्यूएफ) से सुमेलित होनी चाहिए और राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा यथा विहित सभी एनएसक्यूएफ मानकों और अनुपालनों का विधिवत रूप से पालन किया जाएगा।

7.4 एआईसीटीई मानकों का अनुपालन: उक्त पैरा में यथा उल्लिखित एनएसक्यूएफ मानकों के अलावा सभी डिप्लोमा अर्हताएं प्रवेश अपेक्षाओं और अवधि, पाठ्यक्रमों के स्तर आदि से संबंधित विहित न्यूनतम एआईसीटीई मानकों के अनुपालन में होंगी। इससे वीडटी और कौशल क्षेत्र के अंतर्गत डिप्लोमा अर्हताओं की गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित होंगे और इस प्रकार उद्योग द्वारा समान मान्यता का मार्ग प्रशस्त होगा।

7.5 समतुल्यता: ये डिप्लोमा अर्हताएं अनुबंध-3 में यथा वर्णित अवधि, प्रवेश अपेक्षाओं आदि के अनुसार डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत) और एआईसीटीई मानकों को प्रदान करने से संबंधित एनएसक्यूएफ प्रतिमानों का अनुपालन करेंगी। चूंकि ये अर्हताएं दोनों विनियामकों अर्थात् एआईसीटीई और एनसीवीईटी के प्रतिमानों और मानकों का पालन करेंगी इसलिए ये वही एनसीआरफ स्तर और क्रेडिट प्राप्त करेंगी जैसा एआईसीटीई डिप्लोमा कार्यक्रम प्राप्त करते हैं। एआईसीटीई और यूजीसी डिप्लोमा कार्यक्रमों के साथ-साथ एनएसक्यूएफ – सुमेलित और अनुमोदित डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत) अर्हताओं के नियोजन का एक स्नैप शॉट अनुबंध-3 में दिया गया है।

7.6 विस्तृत और व्यापक मूल्यांकन: अर्हताओं को गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों, मूल्यांकनकर्ताओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से काफीविस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन रखा जाएगा।

क. मुख्य विषय: मुख्य विषय में ऐसे विषय शामिल हैं जो डिप्लोमा अर्हता के तहत रेखांकित नौकरी भूमिका (ओं) से सीधे संबंधित हैं। 65 प्रतिशत अर्हता में ऐसे मुख्य विषय शामिल होंगे। इन मुख्य विषयों में प्रशिक्षार्थियों को डिजाइन और अधिक विकल्प की लोचशीलता देने के लिए इन्हें निम्नानुसार अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों के रूप में विभाजित किया गया है:

- i. अनिवार्य विषय: इनमें ऐसी दक्षताएं शामिल हैं जो डिप्लोमा के तहत निर्धारित नौकरी भूमिका के लिए निष्पादित किये जाने हेतु अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैं। एक डिप्लोमा अर्हता में कुल अर्हता का कम से कम 50 प्रतिशत अनिवार्य विषयों के रूप में होना चाहिए।
- ii. वैकल्पिक विषय: इनमें ऐसी दक्षताएं शामिल हैं जो स्वाभाविक रूप से अनिवार्य हैं परंतु जिन्हें ऐसी अन्य दक्षताओं के समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो डिप्लोमा अर्हता के तहत निर्धारित नौकरी भूमिका के निष्पादन में समान रूप से प्रभावी हैं। अतः किसी प्रशिक्षार्थी को वैकल्पिक रूप से निर्धारित दक्षताओं के समूह के बीच चयन की लोचशीलता दी जा सकती है। एक डिप्लोमा अर्हता में कुल अर्हता का 15 प्रतिशत वैकल्पिक विषय के रूप में हो सकता है।

ख. गैर-मुख्य (अंतरविषयक/बहु-विषयक) विषय: एनईपी 2020 के विजन को साकार करने के लिए अंतरविषयक विषयों को सीखने को डिप्लोमा अर्हताओं में बढ़ावा दिया जाएगा और इस प्रकार अर्हताएं समग्र और बहुविषयक बन जाएंगी। तदनुसार, एनसीआरफ के प्रावधानों के अनुसार डिप्लोमा अर्हता में कुल अर्हता का 25 प्रतिशत गैर-मुख्य विषयों के रूप में शामिल होगा। ये विषय ऐसे विषयों के समूह होंगे जो किसी नौकरी की भूमिका के अंतर्गत निष्पादन हेतु अनिवार्य नहीं हैं। तथापि, ये विषय प्रशिक्षार्थी के कौशल और दक्षता को बढ़ाएंगे जिससे वह डिप्लोमा अर्हता के तहत निर्धारित नौकरी की भूमिका निभाने में और अधिक सक्षम होगा या होगी। अतः ये विषय संभवतः नौकरी की भूमिका से सीधे संबंधित न हो, परंतु मुख्य कौशल और नौकरी की भूमिका के लिए अपेक्षित दक्षताओं को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता सुधार या नवाचार शामिल करने में मदद करेंगे।

ग. रोजगार अर्हता कौशल (ईएस): प्रशिक्षार्थी की रोजगार अर्हता बढ़ाने के लिए एनसीवीईटी ने 30 से 120 घंटे के बीच रोजगार अर्हता संबंधी कौशल के लिए एनओएसएस अनुमोदित किया है। इनमें विभिन्न कौशल समूहों संबंधी 12 अलग-अलग मॉड्यूल शामिल हैं जो उन्हें उद्योग के लिए तैयार करने और समग्र रूप से बेहतर नागरिक बनाने के लिए जरूरी हैं। एक डिप्लोमा अर्हता में निम्नानुसार रोजगार अर्हता कौशल शामिल होना चाहिए।

- डिप्लोमा अर्हता- 240 से 360 घंटे*
- डिप्लोमा (उन्नत) अर्हता – 180 से 240 घंटे*

* यदि कोई प्रदानकर्ता निकाय डिप्लोमा अर्हता के लिए 360 घंटे और डिप्लोमा (उन्नत) अर्हता के लिए 240 घंटे से कम का विकल्प चुनता है तो शेष घंटों को मुख्य विषयों के भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है।

प्रदानकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईएस अधिगम घंटे सभी सत्रों में विभाजित हों और ऐसा कोई सत्र न हो जो ईएसएनओएस के बिना हो। तदनुसार, किसी सत्र में कम से कम 30 घंटे का एनओएस शामिल करना अनिवार्य हो जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईएसएनओएस को इस प्रकार से शामिल किया जाए कि पिछले सत्र से अगले सत्र में एक क्रमबद्ध प्रगति का निर्माण हो। दूसरे शब्दों में ईएस के मूल घटकों को आरंभिक सत्रों में शामिल किया जाना चाहिए और आगामी घटकों को बाद के सत्रों में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रदानकर्ता निकाय पहले से एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित ईएसएनओएस का उपयोग कर सकता है या अपना स्वयं का ईएसएनओएस तैयार कर सकता है। अपना स्वयं का ईओएनओएस तैयार करते समय प्रदानकर्ता निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन एनओएस में ऐसे मॉड्यूल शामिल हों जो एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित ईएसएनओएस का हिस्सा हों। वर्तमान में ईएसएनओएस में निम्नानुसार 12 मॉड्यूल शामिल हैं।

- i. रोजगार अर्हता कौशल का परिचय;
- ii. संवैधानिक मूल्य/नागरिकताएँ;
- iii. 21वीं सदी में पेशेवर बनना;
- iv. अंग्रेज़ी का कौशल;

- v. कैरियर विकास एवं लक्ष्य निर्धारण;
- vi. संप्रेषण कौशल;
- vii. समावेशन, लिंग जागरूकता, पीडब्ल्यूडी आदि;
- viii. वित्तीय एवं कानूनी साक्षरता;
- ix. डिजिटल साक्षरता एवं कौशल;
- x. उद्यमशीलता;
- xi. ग्राहक सेवा; और
- xii. नौकरी की तैयारी और परीक्षा की तैयारी

तथापि, उच्चतर स्तर की रोजगार अर्हता कौशल को उच्चतर शिक्षा को शामिल करना ताकि प्रशिक्षार्थी न केवल समकालीन नौकरी बाजार में काफी रोजगार योग्य हो बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार हो, अनिवार्य है। कार्य की जरूरतों के भविष्य से तालमेल बनाते हुए रोजगार अर्हता कौशल को उच्चतर स्तर की निम्नलिखित दक्षताओं को शामिल करके विभिन्न राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यवाहक (एनसीआरफ) स्तरों के लिए युक्तिसंगत और मजबूत बनाया जा रहा है। (कार्य प्रगति पर है) जैसे

- क. समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान
- ख. रचनात्मक सोच और नवाचार
- ग. विश्लेषणात्मक सोच
- घ. अनुकूलन सोच
- ङ. डिजाइन सोच और रचनात्मकता
- च. करणात्मक सोच
- छ. सामाजिक बुद्धिमत्ता
- ज. पार सांस्कृतिक अर्हता
- झ. न्यू मीडिया साक्षरता
- ञ. वर्चुअल सहयोगी
- ट. निर्णय लेना
- ठ. संघर्ष समाधान और बातचीत
- ड. वसुधैव कुटुंबकमः एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य

इन ईएसएनओएस को एनएसक्यूएफ के लिए विकसित और सुमेलीकृत हो जाने पर डिप्लोमा और डिप्लोमा (एडवांस्ड)

अर्हता में ऐसे उच्चतर स्तर के कौशल के साथ शामिल किया जाएगा।

8.3.2. डिप्लोमा और डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता संरचना का एक संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

घटक	प्रतिशत (%) संघटन	अवधि				प्रति सत्र क्रेडिट
		डिप्लोमा (3 वर्ष)	डिप्लोमा (एडवांस्ड) (2 वर्ष)	वार्षिक	वार	
मुख्य विषय (अनिवार्य)	50	1800	1200	600	300	10
मुख्य विषय (वैकल्पिक)	15	540	360	180	90	3
गैर – मुख्य	25	900	600	300	150	5
रोजगार अर्हता कौशल (ईएस)*	10	360*	240*	120*	60*	2
कुल	100	3600	2400	1200	600	20

* आंकड़े सांकेतिक हैं। कोई एबी किसी डिप्लोमा के लिए तीन वर्षों में 240 से 360 घंटे के बीच और प्रत्येक सत्र में कम से कम 30 घंटे एनओएस के साथ डिप्लोमा (एडवांस्ड) के लिए दो वर्षों में 180 से 240 घंटों के बीच कोई समयावधि चुन सकता है। जैसा कि ऊपर पैरा 8.3.1 (ग) में स्पष्ट किया गया है।

8.4 एकाधिक प्रवेश और एकाधिक निकास (एमई-एमई) विकल्प: जैसा कि एनईपी में उद्देशित है और एनसीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार डिप्लोमा और डिप्लोमा (उन्नत) अर्हताओं में पढ़ने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्प भी प्रदान किए जा सकते हैं। प्रत्येक सत्र (6 महीने) पूरा करने के बाद डिप्लोमा या डिप्लोमा (एडवांस्ड) कार्यक्रम को छोड़ने वाले किसी प्रशिक्षार्थी को सफल मूल्यांकन के बाद एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये प्रमाण पत्र उचित एसक्यूएफ/एनसीआरएफ स्तर दर्शाएगा और प्रशिक्षार्थी द्वारा अर्जित उचित क्रेडिट अंक दर्शाएगा। इससे कोई प्रशिक्षार्थी किसी बाद के समय में इस प्रमाण पत्र के आधार पर डिप्लोमा या डिप्लोमा (उन्नत) कार्यक्रम में पुनः प्रवेश लेने में भी सक्षम हो जाएगा। जिससे एनसीआरएफ के एमई-एमई प्रावधान सही अर्थों में संभव और प्रचलित होंगे। तथापि किसी प्रशिक्षार्थी को उक्त पैरा 8.2 में यथा उल्लिखित कार्यक्रम में प्रवेश / नामांकन की तारीख से 7 वर्षों के भीतर डिप्लोमा या डिप्लोमा (उन्नत) अर्हता को पूरा करना होगा।

ऊपर वर्णित एमई-एमई प्रावधानों के अनुक्रम में डिप्लोमा और डिप्लोमा (उन्नत) अर्हताएं इस प्रकार से डिजाइन की जाएंगी कि प्रत्येक सत्र में अधिगम एक स्वतंत्र अर्हता बन जाए जिससे उद्योग में मान्यता प्राप्त नौकरी की भूमिका प्राप्त हो। डिप्लोमा / डिप्लोमा (उन्नत) अर्हता के सत्रों को डिजाइन करते समय किसी प्रदानकर्ता निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बाद के सत्र में अर्हता क्रमबद्ध प्रकृति की हो जिससे एक से दूसरे सत्र में प्रगति हो या वह डिप्लोमा / डिप्लोमा (उन्नत) अर्हता के लिए संगत बेहतर नौकरी भूमिका से संबंधित हो और उसका हिस्सा हो। ऐसी अर्हता अनुकूल क्रेडिटों के साथ समुचित एनसीआरएफ / एनएसक्यूएफ के लिए स्वतंत्र रूप से निर्धारित भी होनी चाहिए।

8.5 एनएसक्यूएफ/एनसीआरएफ स्तर: मौजूदा मानकों के अनुसार एआईसीटीई डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) और पोस्ट डिप्लोमा (डिप्लोमा के बाद 18 महीने या 2 साल की समयावधि) को क्रमशः 4 और 5.5 के स्तर पर रखा है। एआईसीटीई का यूजी डिप्लोमा स्तर 5 पर है। इसी प्रकार, एनसीवीईटी के डिप्लोमा को 4.5 के स्तर पर और डिप्लोमा (उन्नत) को 5 के स्तर पर रखा जाएगा।

8.6 एनसीवीईटी मान्यता प्रक्रिया

8.6.1 पात्रता मापदंड

क. ऐसे संस्थानों के प्रकार जहां डिप्लोमा कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा सकते हैं:

- एआईसीटीई और यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान और विश्वविद्यालय
- केंद्र या राज्य सरकारों के संस्थान / संगठन जैसे एनएसटीआई, एनपीटीआई, सीडेक, एनआईएलआईटी,

सीआईपीटीई आदि और ऐसे संस्थानों/संगठनों के संबद्ध/अनुबंधित केंद्र ।

- iii. डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए राज्य तकनीकी बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, कौशल केंद्र पहल (एसएचआई) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान।
- iv. प्रतिष्ठित उद्योग और उद्योग निकाय ।
- v. एनसीवीईटी प्रदानकर्ता निकाय दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदानकर्ता निकाय द्वारा पैनलबद्ध/अनुबंधित संस्थान/केंद्र । केवल उन संस्थानों पर विचार किया जाएगा जिनके पास गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण का सिद्ध ट्रैक रिकार्ड होगा जो उद्योग मान्यता/लिकेज, उच्च प्लेसमेंट रिकार्ड और समुचित अवसंरचना आदि जैसे मापदंडों से प्रदर्शित होता हो

ख. संस्थानों के लिए अन्य शर्तें:

इसके अतिरिक्त संस्थानों को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार गुणवत्ता दर्शानी होगी। तथापि, ये शर्तें पैरा 8.6.1.क (ऊपर दिया गया) में उल्लिखित प्रकार (i) और (ii) संस्थानों पर लागू नहीं होंगी और वे डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के लिए स्वतः पात्र हो जाएंगे।

- i. **पूर्व अनुभव:** संस्थान गुणवत्तायुक्त और संगत तकनीकी/ और व्यावसायिक शिक्षा निरंतर प्रदान करने के पूर्व अनुभाव का साक्ष्य प्रदान करने में सक्षम होने चाहिए जो यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी आदि जैसे विनियामकों या प्रतिष्ठित और बड़े पैमाने के उद्योग द्वारा उच्चतर स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। ऐसे संस्थानों के पास निम्नलिखित होने चाहिए:-
 - डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वर्षों (संचयी रूप से) में तकनीकी/ व्यावसायिक/ पेशेवर शिक्षा में न्यूनतम 500 प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षित किया हो।
 - पिछले तीन वर्षों के लिए निरंतर (बीच में आये कोविड वर्षों की अनुमति) प्रशिक्षण या शिक्षण कार्यकलापों में शामिल रहा हो।
 - एनसीवीईटी द्वारा मुश्किल धरातल/ वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र आदि में कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के लिए साक्ष्य सहित न्यायोचित कारण बताने के अधीन पूर्व अनुभव की अपेक्षाओं में ढील दी जा सकती है।
- ii. **उद्योग लिकेज:** संस्थान के पास उद्योग निकायों के साथ संबद्धता होनी चाहिए जो एमओयू और करारों जैसे साक्ष्य के माध्यम से दर्शाई जाए। उद्योग के सदस्य/प्रतिनिधि संस्थान के प्रबंधन/निर्णय लेने का हिस्सा होने चाहिए। उदाहरण के लिए निदेशक बोर्ड, शासी परिषद आदि।
- iii. **अवसंरचना:** वह संस्थान जहां डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता को कार्यान्वित करना प्रस्तावित है। अवसंरचना के संबंध में लागू निम्नलिखित मापदंडों के अधीन होगा:
 - शिक्षक – विद्यार्थी अनुपात 1:30 होगा या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जो लागू हो। शिक्षकों में आगंतुक शिक्षक भी शामिल होंगे।
 - डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं को चलाने के लिए मूल सुविधायें जैसे उचित औजारों और उपकरणों के साथ सुसज्जित प्रयोगशाला, उचित स्तर की पुस्तकों सहित एक सुसज्जित पुस्तकालय, इंटरनेट की सुविधा और प्रसाधन होंगी जिन्हें प्रदानकर्ता निकाय द्वारा परिभाषित किया जाए और संस्थान द्वारा कड़ाई से पालन किया जाये।

इस दिशानिर्देश के प्रयोजनार्थ "प्रयोगशाला" का अर्थ संगत उपकरणों के साथ कोई क्षेत्र होगा जहां

प्रैक्टिकल सत्र, फील्ड वर्क, डेमो वर्क, सिमुलेशन आदि का सुचारू प्रचालन हो सकता हो जिनसे अर्हता में यथा सूचीबद्ध दक्षताएं प्राप्त करने में उम्मीदवार के शिक्षण में मदद मिलती हो। संस्थान के पास अपनी इनहाउस प्रयोगशाला हो सकती है या वह इसके लिए कोई बाहरी व्यवस्था दर्शा सकता है। तथापि, ऐसी व्यवस्था को वैध साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

iv. नियोजन: संस्थान को उसके द्वारा प्रशिक्षित पूर्व बैच के लिए नियोजन के उच्च प्रतिशत के अनुसार गुणवत्ता दर्शानी होगी। उसके पास पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्रशिक्षित कुल प्रशिक्षार्थियों के कम से कम 60 प्रतिशत का नियोजन अवश्य होना चाहिए। नियोजन में वेतन, रोजगार, स्वरोजगार और वैध साक्ष्यों द्वारा समर्थित निरंतर उच्चतर शिक्षा शामिल होनी चाहिए।

v. प्रशिक्षित प्रशिक्षक: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता कार्यान्वित करने वाले संस्थानों को निम्नलिखित अर्हताओं के साथ केवल प्रशिक्षित प्रशिक्षक और मास्टर प्रशिक्षक नियोजित करने होंगे:

- **प्रशिक्षकों के लिए:** किसी प्रशिक्षक के लिए प्रवेश की अपेक्षा कम से कम एक स्तर उच्चतर (अधिमानत: स्तर 6 या उससे अधिक) और संगत डोमेन में उद्योग या प्रशिक्षण का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव (उद्योग अनुभव के रूप में ऐसे अनुभव का कम से कम 50 प्रतिशत सहित) होना चाहिए। संबंधित एबी द्वारा न्यूनतम प्रवेश अपेक्षाएं निर्धारित करते समय यह बात सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, अर्हताओं / अपेक्षाओं को समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा जारी टीओटी दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित से देखा जा सकता है।

- **मास्टर के लिए:** मास्टर ट्रेनर वह व्यक्ति है जो विशिष्ट क्षेत्र में काफी अधिक कुशल और ज्ञानी हो तथा ऐसे भावी प्रशिक्षकों के उच्चतर स्तर के प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के द्वारा उन क्षेत्रों में प्रशिक्षक तैयार करने लिए उत्तरदायी हो। कोई प्रमाणित प्रशिक्षक प्रशिक्षण के पांच वर्ष के अनुभव के बाद (अधिमानत: कुछ उद्योग अनुभव सहित) मास्टर ट्रेनर बनने के लिए पात्र हो जाता है।

अतिरिक्त अर्हताओं/अपेक्षाओं को समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा जारी टीओटी दिशानिर्देशों में उल्लेख के अनुसार देखा जा सकता है।

vi. प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ता: डिप्लोमा अर्हताएं कार्यान्वित करने वाले संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के साथ प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन अवसंरचना उपलब्ध है।

8.6.2 अनुमोदन हेतु प्रक्रिया: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं चलाने के लिए एबी हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को नीचे रेखांकित किया गया है:

चरण 1: प्रस्ताव प्रस्तुत करना

डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता कार्यान्वित करने के इच्छुक एबी को अनुबंध 4 में प्रदत्त "अनुमोदन हेतु प्रपत्र" के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जिसमें संस्थान का नाम, पूर्व अनुभव, उद्योग लिकेज, प्रशिक्षकों के लिए व्यवस्था, मूल्यांकनकर्ताओं के लिए व्यवस्था आदि जैसे संस्थान की अन्य स्थितियों के नोडल संपर्क और अनुपालन जैसे मूल ब्यौरे दिये गये होंगे।

**चरण 2: प्रस्ताव की जांच**

डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता के प्राप्त प्रस्ताव को एनसीवीईटी द्वारा यथा विहित गैर वापसी योग्य अपेक्षित प्रक्रिया शुल्क के साथ अनुमोदन हेतु एनएसक्यूएफ को प्रस्तुत किया जाएगा। एनसीवीईटी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी समीक्षा करेगा। एनसीवीईटी प्रस्ताव की जांच के लिए एक आंतरिक तंत्र बना सकता है और आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता के लिए बाहरी विशेषज्ञों को बुला सकता है। एनसीवीईटी अपनी जरूरत के अनुसार विशेषज्ञ जानकारी लेने के लिए विषयवस्तु के विशेषज्ञों (एसएमई) का एक पूल भी बना सकता है। इस पूल में शैक्षिक, उद्योग, सरकारी और अन्य संगत समूहों से सदस्य शामिल होंगे।

**चरण 3: अनुमोदन संबंधी निर्णय**

प्रस्ताव के अनुमोदन या अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, संबंधी एक पत्र एनसीवीईटी द्वारा एबी को भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में जहां अनुमोदन दिया गया हो, वहां एबी की सिद्ध क्षमता और विश्वसनीयता पर आधारित पाठ्यक्रमवार सीटों की संख्या भी एनसीवीईटी द्वारा बतायी जाएगी।

**चरण 4 : डिप्लोमा अर्हता का एनएसक्यूएफ सुमेलन और अनुमोदन**

सभी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं एनसीवीईटी में एनएसक्यूएफ से सुमेलित और एनएसक्यूएफ द्वारा अनुमोदित करानी होगी।

एनसीवीईटी द्वारा उक्त चरण 3 में यथा उल्लिखित डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं संबंधी किसी एबी के प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात निम्नलिखित मामले हो सकते हैं:

मामला I: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता पहले ही एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित हो

इस मामले में इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया जाएगा और एनसीवीईटी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। अनुमोदन की संपूर्ण प्रक्रिया अपेक्षित प्रपत्र/टेम्पलेट में एबी द्वारा पूर्ण प्रस्ताव और गैर-वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क जमा कराने के दिन से शुरू होकर कुल 60 दिनों में पूरी होगी।

मामला II: ऐसी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं जो एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित न हों

इस मामले में आशय का एक पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा जिसमें सिद्ध क्षमता और विश्वसनीयता के आधार पर पाठ्यक्रमवार सीटों की संख्या बतायी गई होगी। तथापि, एबी को प्रस्तावित डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं को समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित मानक एनएसक्यूएफ प्रतिमानों/प्रपत्रों/एसओपी/स्तर वर्णन के अनुसार एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित करवाना होगा (प्रक्रिया के ब्यौरे हेतु www.ncvet.gov.in पर देखें)। उन्हें प्रवेश

और समयावधि से संबंधित एआईसीटीई का अनुपालन भी करना होगा। संबंधित एबी को एलओआई जारी होनी की तारीख से 30 दिनों के भीतर एनएसक्यूसी अनुमोदन हेतु इन अर्हताओं को प्रस्तुत करना होगा।

8.7 अन्य महत्वपूर्ण प्रचालन आवश्यकताएँ: संस्थान में किसी एक वरिष्ठ शिक्षक को "डिप्लोमा समन्वयक" के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो समस्त पत्रों और निगरानी प्रयोजनों के लिए नोडल प्राधिकारी होगा।

8.7.1. अनुदेशनात्मक क्षेत्र अधिकतम 30 विद्यार्थी प्रति बैच के बैच आकार के साथ एबी द्वारा सुझाये गये उचित आकार का होगा। एनसीवीईटी प्रदर्शित क्षमता और गुणवत्ता के आधार पर किसी संस्थान को 30 से कम सीटें आवंटित कर सकता है। कोई संस्थान एक बैच प्रति डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता के लिए पात्र होगा। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में सिद्ध क्षमता और प्रतिष्ठा वाले संस्थानों पर एनसीवीईटी द्वारा अतिरिक्त बैचों के आवंटन हेतु विचार किया जा सकता है।

8.8 मान्यता अवधि: एनसीवीईटी द्वारा डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के कार्यान्वयन के लिए मान्यता की आरंभिक अवधि 01 (01) वर्ष होगी। इसी वर्ष में बैचों की संख्या संबंधित एबी की क्षमता के आधार पर एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित की जाएगी। एनसीवीईटी द्वारा कोई डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता चलाने की मान्यता के वर्ष के भीतर प्रदानकर्ता निकाय जनवरी और / मई और/ या सितंबर के महीनों में अनुमोदित संस्थान (नों) में डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) बैच शुरू कर सकता है। इस वर्ष के चक्र में शुरू बैचों को आवंटित अवधि अर्थात् 10वीं के बाद डिप्लोमा के लिए तीन वर्ष और 12वीं के बाद डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) के लिए दो वर्ष में पूरा करना होगा। बशर्ते कि निगरानी के दौरान गंभीर खामियों की सूचना / या अभिज्ञात भारी कमियों के आधार पर एनसीवीईटी द्वारा बैच/संस्थान की मान्यता रद्द न कर दी जाए।

8.8.1 ऐसी समयवधि को प्रदानकर्ता निकाय के अनुरोध करने पर एक (01) वर्ष की आगामी अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में पढाया जा सकता है। यह समय विस्तार प्रदानकर्ता निकाय के निष्पादन पर आधारित होगा।

8.8.2 डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के कार्यान्वयन के लिए मान्यता की अवधि एनसीवीईटी द्वारा किसी प्रदानकर्ता निकाय के रूप में संस्थान की मान्यता के अधीन है और डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं कार्यान्वित करने की उसकी अवधि किसी भी मामले में एनसीवीईटी द्वारा एबी की मान्यता से बाहर नहीं जा सकती है।

8.8.3 मान्यता प्रदान करना वार्षिक निगरानी के अधीन है। निष्पादन के आधार पर एनसीवीईटी मान्यता समाप्त करने सहित आवश्यक सुधारात्मक / दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

8.9 शुल्क

8.9.1 प्रक्रिया शुल्क: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले किसी प्रदानकर्ता निकाय को विहित प्रक्रिया के जरिये 25000 रुपये प्रति अर्हता का गैर-वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क जमा कराना अपेक्षित है। यह शुल्क डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं दोनों के लिए समान रहेगा।

8.9.2 जमानत राशि: एक बार प्रदानकर्ता निकाय को डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं कार्यान्वित करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने पर वह डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के पूरा होने तक बैंक में सावधि जमा प्राप्ति (एफडीआर) के रूप में जमानत राशि रखेगा। यह जमानत राशि एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या के आधार पर 5000 रुपये प्रति सीट होगी। उदाहरण के लिए यदि एनसीवीईटी किसी संस्थान को 30 उम्मीदवारों का एक बैच चलाने की मान्यता देता है तो जमानत राशि 5000 गुणा 30 अर्थात् 1,50,000 होगी। ऐसी व्यवस्था प्रशिक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए की गई है। यह ध्यान रखना होगा कि यह किसी प्रदानकर्ता निकाय से लिया गया कोई शुल्क नहीं बल्कि बैच के चलते रहने तक बैंक में रखी गई एक राशि है। बैच के पूरा होने के बाद ऐसी जमा राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8.9.3 प्रशिक्षार्थियों से शुल्क: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं कार्यान्वित करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदानकर्ता निकाय को उस शुल्क संबंधी स्पष्ट नीति और मानक बताने होंगे जिसे वह डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के संबंध में उम्मीदवारों / प्रशिक्षार्थियों से लेगा। ऐसी नीति/मानक बिल्कुल स्पष्ट होंगे और एबी की वेबसाइट पर दर्शाये जाने चाहिए।

8.10 पाठ्यक्रम संचरना: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता का पाठ्यक्रम इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि कुल पाठ्यक्रम का कम से कम 60 प्रतिशत और अधिमानतः 70 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक कौशल के बारे में हो। इसमें नौकरी पर (ओजेटी) प्रशिक्षण और प्रशिक्षु संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होगा जो अन्य व्यावहारिक घटकों के साथ क्षेत्र – संगत और उद्योग द्वारा विद्विधित होगा। पाठ्यक्रम की संगतता और समीचीन होना उद्योग और नौकरी संपर्क के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।

8.10.1 निम्नलिखित के अलावा पाठ्यक्रम डिजाइन विकास और अनुमोदन से संबंधित मानक एनएसक्यूएफ प्रतिमान, अतिरिक्त उपाय किसी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता के पाठ्यक्रम को डिजाइन करते समय उद्योग भागीदारी के भूमिका को बढ़ाने के लिए स्थापित किये जाएंगे। किसी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता की पाठ्यक्रम संरचना के लिए एक अलग अनुबंध एनसीवीईटी द्वारा एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए अर्हता फाइल प्रपत्र के साथ जारी किया जाएगा।

8.10.2 सभी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं एनओएस, अर्हताओं, डिजाइन, विशेषज्ञताओं, एकाधिक प्रवेश, एकाधिक निकास विकल्पों और लेटरल प्रवेश विकल्पों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) प्रपत्र में होंगी। इससे एनओएस का क्रेडिटिकरण और दोहरी सामग्री, यदि कोई हो, को हटाया जाना भी सुनिश्चित होगा।

8.10.3 चूंकि अर्हताएं एनओएस आधारित होंगी। इसलिए प्रत्येक एनओएस के अलग ज्ञान और समझ घटक के लिए पाठ्यक्रम अलग से डिजाइन किया जाएगा। अतः डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता का पूरा पाठ्यक्रम एनओएस के सभी विशेष रूप से उनके ज्ञान (के) और समझ (यू) घटकों से संगत होगा। इससे डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता डिजाइन करते समय कमतर समयवधि और एनओएस को अर्हताओं में आसानी से जोड़ना और दोहरी विषयवस्तु को हटाना भी संभव बनेगा जो आगे पाठ्यक्रम में दिखायी देगा।

8.10.4 सभी अर्हताओं में रोजगार अर्हताएं दक्षताएं आवश्यक रूप से शामिल होंगी जिसमें उम्मीदवार को नौकरी के लिए तैयार करने हेतु जरूरी कौशल शामिल होगा। एनसीवीईटी ने एनएसक्यूएफ के विभिन्न स्तरों और विभिन्न समयवधि में अर्हताओं के लिए ईएस संबंधित एनओएस अनुमोदित किये हैं। यह डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं पर भी लागू होगा। तथापि, एनसीवीईटी किसी भी समय अतिरिक्त ईएस को अर्हताओं में शामिल करना आवश्यक बना सकता है।

8.10.5 डिप्लोमा अर्हताओं के मानक और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए यह अनिवार्य है कि एआईसीटीई और यूजीसी डिप्लोमा कार्यक्रम की समान पाठ्यक्रम संरचना का पालन किया जाए। अतः यूजीसी और एआईसीटीई पाठ्यक्रम संरचना के अनुक्रम में निम्नलिखित तत्व डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के पाठ्यक्रम डिजाइन का भी हिस्सा अवश्य होने चाहिए:

क. मूलभूत सूचना जैसे नाम, एनएसक्यूएफ/एनसीआरफ स्तर, समयवधि, क्रेडिट, वैधता, प्रवेश अपेक्षाएँ आदि।

ख. प्रत्येक मॉड्यूल या निम्नलिखित घटकों के साथ एनओएस के लिए मुख्य अधिगम परिणाम:

- i. ज्ञान और समझ
- ii. कार्य निष्पादित करने और पूरा करने के लिए अपेक्षित सामान्य, तकनीकी और पेशेवर कौशल
- iii. ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग
- iv. रोजगार अर्हता कौशल

ग. नियोजन के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकनकर्ता की अर्हताओं (शैक्षिक/व्यावसायिक) और अनुभव के साथ अपेक्षाएँ।

घ. साधन और आकलनों की सूची।

ङ. प्रशिक्षण की पद्धति – मॉड्यूल / एनओएस वार इसमें ओजेटी / परियोजना कार्य / प्रशिक्षु होना / अभ्यास अनुभव आवश्यक रूप से शामिल होना चाहिए।

च. मूल्यांकन की रणनीति

8.11 मूल्यांकन: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यापक और गुणवत्ता - आश्वस्त होगी। केवल शीर्ष निष्पादक एए को उनकी रेटिंग के आधार पर डिप्लोमा मूल्यांकन आयोजित करने के पात्र होंगे। ऐसे समय तक जब एनसीवीईटी द्वारा एए की रेटिंग प्रकाशित की जाये। मूल्यांकन इस प्रयोजनार्थ एनसीवीईटी द्वारा अधिसूचित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। डिप्लोमा अर्हताओं के मूल्यांकन के संबंध में और अधिक मानकों और नयाचारों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त उपाय किये जाएंगे। ऐसे उपाय और विस्तृत मूल्यांकन रणनीति **अनुबंध 5** में दी गई है।

8.12 अधिगम की विषयवस्तु: चूंकि डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के लिए होंगी। इसलिए उनमें कम से कम 60 प्रतिशत (70 प्रतिशत की सिफारिश) कौशल घटक अनिवार्य रूप से शामिल होगा। संबंधित एबी यह सुनिश्चित करेगा कि विषयवस्तु उस स्थानीय भाषा में उपलब्ध है, जहां वह अर्हता प्रदान करना चाहता है। वे लोचशीलता बनाये रखने के लिए अधिगम की ऑनलाइन पद्धति, यदि कोई हो, के अनुरूप विषयवस्तु सुनिश्चित करेगा।

8.13 डिप्लोमा प्रदान करना: प्रमाणन एनएसक्यूएफ के प्रमाणन मानकों के अनुसार किया जाएगा।

8.13.1 सभी प्रयोजनों के लिए किसी एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) का अर्थ एनसीवीईटी द्वारा प्राधिकृत किसी प्रदानकर्ता निकाय द्वारा प्रावधानों के अंतर्गत और इन दिशानिर्देशों को जारी करने की तारीख से डिप्लोमा प्रमाणन प्रदान करना होगा।

9. डिप्लोमा के लिए मार्गों का संवर्धन

9.1. एबी प्रशिक्षार्थियों के लिए क्रेडिट एकत्रीकरण और अंतरण के जरिये अधिगम के पूरे हुए वर्षों में संबंधित अर्हताओं को जोड़ने के लिए समर्थकारी प्रावधान बनाएगा ताकि उक्त पैरा 8.2 में यथा प्रदत्त प्रवेश अपेक्षाओं को पूरा करने और उक्त पैरा 8.3 में यथा उल्लिखित संरचनात्मक डिजाइन के अनुपालन के अधीन कोई डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता प्राप्त की जा सके। ऐसे मार्गों को जोड़ने और सृजन की जरूरत एबी द्वारा त्रिज पाठ्यक्रम के विकास के लिए भी आवश्यक हो सकता है। एनसीआरएफ के प्रावधानों के मद्देनजर संबंधित एबी अर्हताओं को जोड़ने इस संबंध मूल्यांकन रणनीतियों और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में नीति तैयार करेगा और कार्यान्वयन से पहले उसे एनसीवीईटी को प्रस्तुत करेगा। डिप्लोमा अर्हताओं के लिए मार्ग प्रदान करने से एनईपी 2020 में यथा परिकल्पित एक अतिरिक्त प्रगति मार्ग प्रदान करने और जीवन भर सीखने को बढ़ावा देने के द्वारा अन्य एनएसक्यूएफ अर्हताएं भी आकांक्षित हो जाएंगी।

10. निगरानी

10.1. डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं को कार्यान्वित करने वाले सभी एबी मान्यता और विनियमन के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अधीन होंगे। इसके अलावा, एनसीवीईटी इन अर्हताओं को चलाने के लिए संस्थानों हेतु अतिरिक्त मापदंड और अनुपालन भी विहित कर सकता है जिसमें तीसरे पक्षों द्वारा निरीक्षण जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

11. प्रगति

11.1. डिप्लोमा अर्हताओं में संगत क्षेत्र में डिप्लोमा (एडवांस्ड) के लिए स्वाभाविक प्रगति है। डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) धारकों के उच्च स्तरीय शिक्षा कार्यक्रमों में लेटरल प्रवेश और प्रगति की संभावनाओं का भी एआईसीटीई और यूजीसी के साथ परामर्श करके पता लगाया जाएगा।

12. शिकायत निवारण

12.1 कोई प्रशिक्षार्थी एनसीवीईटी की वेबसाइट (www.ncvet.gov.in) में उपलब्ध एनसीवीईटी की शिकायत निवारण

नीति के अनुसार प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन आदि संबंधी अपनी शिकायत एनसीवीईटी के पास दर्ज कराने में सक्षम होगा/होगी। उल्लिखित दिशानिर्देशों में संस्थानों और एबी के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनका समाधान प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार के प्रावधान उपलब्ध हैं।

अनुबंध 1: समिति का गठन और टीओआर

क. डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के एनएसक्यूएफ सुमेलन के अनुमोदन संबंधी दिशानिर्देशों के निर्माण के लिए समिति का गठन

1. डॉ. विनीता अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी अध्यक्ष
2. यूजीसी के प्रतिनिधि, सदस्य
3. एआईसीटीई के प्रतिनिधि, सदस्य
4. डीजीटी के प्रतिनिधि, सदस्य
5. एनआईईएलआईटी के प्रतिनिधि, सदस्य
6. एमएसडीई के प्रतिनिधि, सदस्य
7. पीएसएससीआईवीई के प्रतिनिधि, सदस्य
8. एफआईसीएसआई के प्रतिनिधि, सदस्य
9. कृषि एसएससी के प्रतिनिधि, सदस्य
10. नैसकॉम के प्रतिनिधि, सदस्य
11. पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद के प्रतिनिधि, सदस्य
12. चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के प्रतिनिधि, सदस्य
13. कर्नल संतोष कुमार, निदेशक, एनसीवीईटी, सदस्य सचिव

ख. समिति के विस्तृत विचाराधीन विषय (टीओआर) निम्नानुसार होंगे: -

- i. ऐसी अर्हताओं को रेखांकित करने के लिए मापदंडों की पहचान करना जिन्हें एनएसक्यूएफ के अंतर्गत डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हो।
- ii. व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) और दक्षताओं के दायरे के अंतर्गत आने वाली डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के प्रकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए एक तंत्र बनाना और इस प्रकार अकादमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और वीईटी/कौशल के विनियामक दायरे को स्पष्ट रूप से अलग-अलग करना।
- iii. वीईटी और कौशल क्षेत्र से संबंधित डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के अनुमोदन और एनएसक्यूएफ सुमेलन की प्रक्रिया और कार्य विधि का सुझाव देना।
- iv. ऐसी अर्हताओं के लिए समयावधि, प्रवेश अपेक्षाओं, पूरा होने, स्तरों आदि जैसे विभिन्न मानकीकृत मापदंड निर्धारित करना।

- v. यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीवीईटी जैसे विभिन्न विनियामकों की डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के बीच समतुल्यता स्थापित करने के लिए अंतर संबंध और तंत्र तैयार करना।
- vi. ऐसे एबी जिन्हें ऐसे पाठ्यक्रम हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। केटीपी की विशेष अवसंरचना/ कर्मचारी, प्रक्रियाएं और विषयवस्तु संबंधी जरूरतें निर्धारित करना।
- vii. उक्त 2(क) से (ड.) के आधार पर अर्हताओं के एनएसक्यूएफ सुमेलन और अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।
- viii. किसी अन्य संबंधित मामले, यदि कोई हो, पर विचार करना।

अनुबंध 2: भारत में वर्तमान डिप्लोमा पारितंत्र

1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):

क) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (पॉलिटेक्निक): ये ऐसे डिप्लोमा कार्यक्रम हैं जिन्हें विशिष्ट व्यवसाय के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में अधिकांशतः ऑफर किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा बोर्डों और संस्थानों के लिए अद्यतन बनाने और स्वीकार करने के लिए उपलब्ध है। ये इस प्रकार हैं:-

i) डिप्लोमा कार्यक्रम:

- अधिकांशतः डिप्लोमा कार्यक्रम समयावधि क्षेत्र के अनुसार 10वीं कक्षा पास करने के बाद 3 वर्ष या 4 वर्षों की होती है। तथापि, ऐसे कुछ आपवादिक क्षेत्र हैं, जैसे होटल प्रबंधन और फार्मोसी जिनमें प्रवेश की अपेक्षा 2 या 3 वर्ष की समयावधि के साथ 12वीं कक्षा पास करना है।
- सामान्यतः 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए ऐसे डिप्लोमा कार्यक्रमों जिनमें 10वीं पास की प्रवेश अपेक्षा है, लेटरल प्रवेश का प्रावधान है।
- 12वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा पूरा करने के पश्चात इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रमों में भी लेटरल प्रवेश का प्रावधान है।
- ऐसे डिप्लोमा कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:
 - 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए फार्मोसी का डिप्लोमा 2 वर्ष का है।
 - 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए वास्तुकला सहायक डिप्लोमा 3 वर्षों का है।
 - 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा 3 या 4 वर्षों का है।

ii) पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम: पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम या तो 18 महीने या 2 वर्ष की समयावधि के हो सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हता, डिप्लोमा कार्यक्रम में उत्तीर्ण होना है।

<https://www.aicte-india.org/sites/default/files/approval/2023-24/APH%202023%20-%202024.pdf>

ख) नये तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए मौजूदा दिशानिर्देश

अपेक्षाएँ और पात्रता

- i. प्रवर्तक ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के पास यथा अपेक्षित भूमि और आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पहले प्रवर्तक ट्रस्ट / सोसायटी/कंपनी के नाम से उसका स्पष्ट कानूनी कब्जा होगा।
 - ii. तकनीकी संस्थानों के लिए अपेक्षाएं अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय vii में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार होंगी।
 - iii. संस्थान के कार्यक्रम (मों) की पूरी समयावधि के लिए भवन योजना वास्तुकला परिषद के पास पंजीकृत किसी वास्तुविद/लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षणकर्ता द्वारा तैयार की जाएगी और वह संबंधित राज्य सरकार/यूपी द्वारा यथा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा। तथापि पहले वर्ष के लिए भवन सभी तरह से अवसंरचना अपेक्षाओं के अनुसार पूरा हो जाना चाहिए।
 - iv. "तकनीकी संस्थान" के प्रमुख को "प्रधानाचार्य/निदेशक" के नाम से जाना जाएगा और उसके पास तकनीकी संस्थान के कार्यक्रम में प्रधानचार्यों के लिए यथा परिभाषित एआईसीटीई मानकों के अनुसार योग्यताएं होंगी।
- ग) व्यावसायिक:** एआईसीटीई ऐसे तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदित करता है जो बी.वोक./ डी.वोक/कौशल डिप्लोमा (डी.स्किल्स) चलाने की इच्छा रखते हों। एआईसीटीई – अनुमोदित तकनीकी संस्थान इन पाठ्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए पात्र हैं।
- i. **व्यावसायिक स्नातक (बी.वोक):** डी.वोक कार्यक्रम की समयावधि 3 वर्ष है और डी.वोक कार्यक्रम में शामिल होने की पात्रता 12वीं पास होना है। डी.वोक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश – एकाधिक निकास (एमई-एमई) का विकल्प है।
 - यदि कोई उम्मीदवार पहला वर्ष पूरा करने के बाद कार्यक्रम छोड़ देता है तो उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है; और
 - यदि 2 वर्ष पूरा करने के बाद छोड़ता है तो एक डिप्लोमा प्रमाण पत्र उम्मीदवार को दिया जाता है। इन्हें एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ के क्रमशः स्तर 4.5 और 5 में दिया गया है।
 - ii. **व्यासायिक डिप्लोमा डी.वोक (पुनीक्षण के अधीन):**

डी.वोक कार्यक्रम की समयावधि तीन वर्ष है और डी.वोक कार्यक्रम में शामिल होने की पात्रता 10वीं कक्षा पास होना है। प्रदानकर्ता निकाय तकनीकी शिक्षा बोर्ड है। डी.वोक पूरा करने पर विद्यार्थी समान या संबद्ध क्षेत्र में इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में लेटरल प्रवेश ले सकते हैं।
 - iii. **कौशल डिप्लोमा (डी. कौशल):**

कौशल कार्यक्रम की समयावधि तीन वर्ष है और 10वीं पास नहीं करने वाले विद्यार्थी इस कार्यक्रम के पात्र हैं। प्रदानकर्ता निकाय तकनीकी शिक्षा बोर्ड है। इस समय कौशल डिप्लोमा (डी. कौशल) के लिए कोई समतुल्यता और उर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं है।
 - iv. **परास्नातक डिप्लोमा:**

ये ऐसे डिप्लोमा कार्यक्रम हैं जिन्हें दो वर्षों की अवधि के लिए स्नातक के बाद प्रस्तावित किया जाता है। कुछ मामलों में समयावधि दो वर्ष से कम हो सकती है। (उदाहरण के लिए कार्यकारी कार्यक्रम) परंतु सभी मामलों में यह एक वर्ष से अधिक है। इन कार्यक्रमों को स्नात्कोत्तर डिग्री के समतुल्य माना जाता है

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):

यूजीसी द्वारा डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट नहीं हैं। तथापि, विश्वविद्यालय शासी परिषद/सांविधिक परिषद के आवश्यक अनुमोदन से जहां अपेक्षित हो, डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चला सकते हैं। तथापि, बी.वोक कार्यक्रम के लिए यूजीसी ने दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट किये हैं जो क्रमशः पहला और दूसरा वर्ष पूरा करने के बाद निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) को प्रदान करने की अनुमति देते हैं।

3. अन्य:

निजी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षार्थियों को ऐसे डिप्लोमा प्रमाण प्रदान किये जा रहे हैं जो एआईसीटीई मानकों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

एआईसीटीई डिप्लोमा प्रकार	एनसीवीईटी डिप्लोमा प्रकार	प्रवेश की अपेक्षा	अवधि	एनसीआर एफ स्तर	क्रेडिट/वर्ष	अर्जित क्रेडिट अंक
डिप्लोमा इंजीनियरिंग*	डिप्लोमा	10वीं पास	3 वर्ष/3600 घंटे	3.5	40	140
				4	40	160
				4.5	40	180
						कुल:480
डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लेटरल प्रवेश	डिप्लोमा में लेटरल प्रवेश	संगत विषय में 12वीं पास या संगत ट्रेड में 10वीं के बाद 2 वर्षीय एनटीसी/एनएसी	2 वर्ष/ 2400 घंटे	4	40	160
				4.5	40	180
						कुल: 340
यूजी डिप्लोमा	डिप्लोमा (एडवांस्ड)	12वीं पास	2 वर्ष/ 2400 घंटे	4.5	40	180
				5	40	200
						कुल:380
पोस्ट डिप्लोमा	-	डिप्लोमा पास	18 महीने से 2 वर्ष तक	5.5	40	220

* एआईसीटीई के कुछ आपवादिक डिप्लोमा कार्यक्रमों जैसे होटल प्रबंधन और फारमेसी में अलग-अलग समयावधि के साथ 12वीं पास के रूप में प्रवेश अपेक्षायें हैं।

** लेटरल प्रवेशकर्ता एआईसीटीई के दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश करेगा।

अनुबंध 4: 'अनुमोदन हेतु प्रपत्र' का टेम्पलेट

अर्हताओं के अनुमोदन हेतु प्रपत्र	
I. मूलभूत विवरण	
1. संस्थान का नाम	
2. पता	

3. नोडल संपर्क व्यक्ति	
4. संपर्क नंबर	
II. अर्हता का विवरण	
5. प्रस्तावित डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता का नाम	
6. प्रस्तावित अवधि	
7. प्रस्तावित प्रवेश अपेक्षाएं	
8. क्या ये अर्हता निम्न द्वारा अनुमोदित और / या कार्यान्वित है। ● एआईसीटीई या यूजीसी या ● एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा विनियमित कोई अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय/कॉलेज । यदि हां, तो कृपया विवरण बताएं	
9. क्या अर्हता पहले से ही एनएसक्यूएफ के अनुरूप है? हां / नहीं	
10. यदि हां, तो अनुमोदन और वैधता की तारीख	
11. न्यायसंगतता	
(उक्त अर्हता कार्यान्वयन की आवश्यकता)	
12. बैच और आवेदन की जाने वाली सीटों की संख्या	
13. प्रशिक्षित प्रशिक्षकों, मास्टर प्रशिक्षकों और टीओटी की संख्या। प्रशिक्षकों की अर्हता भी बताएं	
14. मिश्रित अधिगम अनुपात सहित विस्तृत मूल्यांकन रणनीति और साधन (उल्लिखित तालिका)*	
15. प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं और टीओए की व्यवस्था	
16. शिक्षण सामग्री की व्यवस्था	
III. मान्यता एवं प्रकार	
17. मौजूदा संबद्धता/मान्यता	
18. संस्थान का प्रकार (8.6.1.क में उल्लिखित प्रकारों के अनुसार)	
IV. पूर्व अनुभव और उद्योग संबंध	
19. विगत तीन वर्षों का पूर्व अनुभव और सेवायोजन	
प्रशिक्षित एवं सेवायोजित उम्मीदवारों	

क्र.सं.	अर्हता का नाम	की संख्या									
		वर्ष 1			वर्ष 2			वर्ष 3			कुल
		प्रशिक्षित (क1)	सेवायोजित (ख1)	सेवायोजित % (ग1)	क2	ख2	ग2	क3	ख3	ग3	
20. प्रस्तावित अर्हता के क्षेत्र/उप-क्षेत्र में एबी के उद्योग संबंध का साक्ष्य											
V. अवसंरचना											
मौजूदा अवसंरचना											
21. जियोटेग्ड स्लैपशॉट											
22. कुल क्षेत्रफल											
23. कक्षाओं की संख्या											
VI. मानव अवसंरचना											
24. स्थायी संकाय सदस्य											
25. आउटसोर्स किए गए संकाय सदस्य											
26. प्रशासनिक स्टाफ											
VII. उपकरणों एवं उपस्करों के लिए अवसंरचना											
27. प्रयोगशालाओं की संख्या											
28. इंटरनेट कनेक्टिविटी											
29. अर्हता के अनुसार उपकरणों और उपस्करों की सूची											

अनुबंध 5: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं का मूल्यांकन

1. मूल्यांकन की रणनीति:

डिप्लोमा अर्हताओं के लिए आकलनों को निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा

1.1 दोहरी श्रेणी प्रदानकर्ता निकायों के लिए: ये मूल्यांकन प्रदानकर्ता निकाय के मूल्यांकन स्कंध /

विभाग द्वारा किया जाएगा। तथापि, एनसीवीईटी में उल्लिखित एबी दिशानिर्देशों की पायरवॉल व्यवस्थायें संबंधित एबी द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी।

1.2 मानक श्रेणी के प्रदानकर्ता निकायों के लिए: ये मूल्यांकन स्वतंत्र तीसरे पक्ष एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा किये जाएंगे। एनसीवीईटी - एबी - एए और मिश्रित अधिगम दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट सभी मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। चूंकि डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांसड) दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं इसलिए उम्मीदवारों के निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन की अपेक्षा रखी जाएगी जिसे स्वतंत्र और उचित तरीके से आंतरिक रूप से नियमित और निरंतर आधार पर किया जाता है। अतः इसके अलावा, संबंधित प्रदानकर्ता निकाय उम्मीदवारों के आंतरिक रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक अलग और स्वतंत्र आंतरिक मूल्यांकन स्कंध/ विभागत स्थापित करेगा। यह स्कंध मूल्यांकन का रिकार्ड रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा और एनसीवीईटी द्वारा समय-समय पर इसकी निगरानी की जाएगी।

- 1.3** अर्हता में यथा वर्णित और एनसीवीईटी मिश्रित अधिगम दिशानिर्देशों में उल्लिखित मूल्यांकन साधनों और पद्धतियों के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना सुनिश्चित की जाएगी। प्रदानकर्ता निकाय मूल्यांकनकर्ताओं के लिए शिक्षा और उद्योग अनुभव की दृष्टि से न्यूनतम मापदंड भी निर्धारित करेगा।
- 1.4** एबी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी मूल्यांकनकर्ता विधिवत रूप से प्रशिक्षित हों और आकलनों के दौरान समुचित योग्यत के लिए अनिवार्य उद्योग प्रतिनिधित्व विहित कर सकता है।
- 1.5** जैसा ऊपर बताया गया है एबी अर्हता के पाठ्यक्रम के दौरान उम्मीदवारों का रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तथापि, पाठ्यक्रम की समाप्ति पर योगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें उम्मीदवार के लिए डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांसड) कार्यक्रम के लिए योग्य बनने हेतु सफलतापूर्वक पास होना अनिवार्य होगा।
- 1.6** संबंधित प्रदानकर्ता निकाय सत्र की शुरुआत में एक प्रशिक्षण और मूल्यांकन कैलेंडर तैयार करेगा और इसे वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। नौकरी में भूमिका, क्षेत्र और भूगोल के आधार पर बैच विशेष के लिए मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकन एजेंसी/मूल्यांकनकर्ता के उचित आवंटन के लिए एक तंत्र होना चाहिए। यह मूल्यांकन पाठ्यक्रम समयावधि की आधिकारिक समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के परिणामों को संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम की अंतिम तारीख से दो महीनों के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्रों को मूल्यांकन परिणाम घोषित होने की तारीख से एक महीने के भीतर सफल उम्मीदवारों को वितरित किया जाएगा। एबी वर्ष में दो बार प्रश्नों के पूल और तिमाही रूप से कुछ प्रश्न बैंकों को अनुमोदित करेगा जिन्हें डिप्लोमा अर्हताओं के लिए एए द्वारा तैयार किया गया है।
- 1.7** डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांसड) अर्हताओं को कार्यान्वित करने वाला एबी एनएसक्यूएफ सुमेलन और अनुमोदन के लिए अर्हता फाइल को प्रस्तुत करते समय उस अर्हता विशेष से संबंधित विस्तृत मूल्यांकन रणनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा। इस रणनीति को अर्हता की अलग आवश्यकताओं, एनसीवीईटी एए और मिश्रित अधिगम दिशानिर्देशों तथा एआईसीटीई/यूजीसी मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।

2. मूल्यांकन प्रकार

2.1 मूल्यांकन प्रक्रिया में औपचारिक लिखित परीक्षाओं की प्रक्रिया को अब पुनः परिभाषित किया जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षायें इन दिनों मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। मूल्यांकन को नैदानिक, रचनात्मक, योगात्मक, स्वामानक मापी, मानक संदर्भित, मापदंड संदर्भित, समकक्ष से समकक्ष यादृच्छिक और

स्वामूल्यांकन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यावसायिक कौशल योग्यताओं का मूल्यांकन एक प्रैक्टिकल परीक्षा के साथ आनलाइन/पेपर आधारित मूल्यांकन का एक संयोजन है।

3. मूल्यांकन के साधन :

मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नानुसार निम्नलिखित साधनों/प्रक्रिया के एक संयोजन का प्रयोग करेगी:

- क) ऑफलाइन मूल्यांकन और परीक्षा।
- ख) अधिगम का मूल्यांकन सामान्यतः ग्रेड आधारित होता है और उसमें कक्षा परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, अंतिम परियोजना और मानकीकृत परीक्षण, संपुष्टि मूल्यांकन शामिल हो सकते हैं।
- ग) अधिगम परिणामों की जांच करने के लिए अंतर्निहित निरंतर/रचनात्मक/योगात्मक मूल्यांकन के साथ एलएमएस आधारित प्रॉक्टर्ड विषयवस्तु प्रदान करना। अंतर के लिए एससीओआरएम अनुपालन विषयवस्तु के सृजन के साथ एक खुले स्रोत एमएमएस उत्पाद के प्रयोग का सुझाव दिया गया है।
- घ) ऑनलाइन प्रश्न बैंक: बहुविकल्पीय, चित्रात्मक, आनुमानिक, मिलान, क्रमबद्धता, सही/गलत, रिक्त स्थान भरे, फाइल अपलोड और निबंध।
- ङ) समूह परीक्षाएं
- च) मांग करने पर परीक्षाएं: अधिक लोचशीलता और विद्यार्थी केंद्रित होने का प्रस्ताव करने के लिए मांग करने पर परीक्षाएं करवाना।
- छ) विद्यार्थियों के ध्यान, समझ की जांच करने और विषय को आत्मसात करने के लिए प्रयुक्त अंतर्निहित नियंत्रणों के साथ मूल्यांकन के साधन।
- ज) अधिगम परिणामों की जांच के लिए सुविधा सहित मूल्यांकन इंजन ।
- झ) प्राप्टर्ड खुली पुस्तक परीक्षा: ऑफलाइन या ऑनलाइन।
- ञ) सूक्ष्म/प्रमुख परियोजना कार्यकरण और मूल्यांकन ।
- ट) मौखिक परीक्षा: ऑफलाइन/ऑनलाइन ।
- ठ) मूल्यांकन साक्षात्कार: ऑफलाइन/ऑनलाइन ।
- ड) अंतर्निर्मित नियंत्रणों, बायामेट्रिक्स, सुरक्षा, मूल्यांकन आदि सहित प्राप्टर्ड ऑनलाइन ।
- ढ) अंतर्निर्मित नियंत्रणों, बायामेट्रिक्स, सुरक्षा, मूल्यांकन आदि सहित परीक्षा ।
- ण) आकलनों के लिए एआर/वीआर/एक्सआर का भी प्रयोग किया जा सकता है।

कर्नल संतोष कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./191/2024-25]

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2023

Guidelines for Diploma Qualifications in Vocational Education & Training and Skilling

F. No. 36002/16/2022/NCVET.—1. INTRODUCTION

- 1.1. The National Education Policy (NEP) 2020, is the first education policy of the 21st century and aims to address the many growing developmental imperatives of our country. NEP 2020 highlights that, holistic development and a wide choice of subjects and courses should be the new distinguishing feature of education and there should be no hard separation among 'curricular', 'extracurricular', or 'co-curricular', among 'arts', 'humanities', and 'sciences', or between 'vocational' or 'academic' streams. To realise the intent and objectives of National Education Policy 2020, the National Credit Framework (NCrF), has been developed which is an inclusive umbrella Framework to seamlessly integrate the credits earned through school education, higher education and vocational & skill education. This will be a game changer in realising the vision and intent of NEP 2020 by removing distinction, ensuring flexibility & mobility and establishing academic equivalence between general and vocational education. Such integration shall open numerous options for the further progression of students and enable entry and re-entry from the vocational stream to general education and vice-versa, thus mainstreaming vocational education and skilling.
- 1.2. The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) was notified by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 5th December 2018 to regulate the functioning of entities engaged in vocational education and training, both long and short-term, and establish minimum standards for the functioning of such entities. One of the major functions of NCVET is to approve Qualifications in order to align them with National Skills Qualification Framework (NSQF) which is a nationally integrated competency-based framework that enables persons to acquire desired competency levels, transit to the job market and, at an opportune time, return for acquiring additional skills to further upgrade their competencies. This enables continued and lifelong learning of an individual along with his/her professional journey thereby truly implementing the concept of 'learn while you earn'.
- 1.3. Currently, under the Vocational Education & Training and Skills ecosystem, qualifications aligned and approved under National Skills Qualification Framework (NSQF) are pegged at levels ranging from 1 to 8 and mostly only certificates are awarded to the learners. Erstwhile NSDA had approved & aligned certain Diploma Qualifications. However, there were no clear guidelines regarding the approval & alignment of Diploma Qualifications. Post formation of NCVET, during rationalisation of the ecosystem the need for guidelines regarding Diploma Qualifications has again emerged especially in the light of NEP 2020 & NCrF.
- 1.4. The vision of the Hon'ble PM is to make India the skill capital & manufacturing hub of the world. With policy interventions like NEP 2020 & NCrF, government has provided an enabling and encouraging environment for VET & skilling in the country. Formalising higher-order qualification like Diploma within the skilling domain will be an important step in enhancing its aspirational value and in a true sense, integrate vocational & general education through provisions of NEP 2020 and NCrF.
- 1.5. Also, lately NCVET has been receiving requests from Awarding Bodies (ABs) to align and approve Diploma Qualifications. ABs have requested that enablement of Diploma certifications will provide learners with higher progression avenues and enhance the aspirational value of vocational education and training. The matter was discussed in the 20th Meeting of the National Skills Qualification Committee (NSQC) held on 30th June 2022. Taking note of the matter, NSQC directed to form a Committee, constituting members from All India Council for Technical Education (AICTE), University Grants Commission (UGC), MSDE, SSCs and other bodies concerned to formulate detailed guidelines on NSQF alignment and approval of 'Diploma/ Diploma (Advanced)' qualifications pertaining to vocational education and skilling. Accordingly, a Committee was constituted on 28th July 2022. The composition of the Committee along with the detailed ToR are attached as **Annexure 1**. The committee members including UGC and AICTE have concurred with these Guidelines for Diploma Qualifications in Vocational Education, Training and Skilling (VET) vide communication dated 05/12/22 and 24/02/23 respectively.

2. SCOPE

- 2.1. Accordingly, these Guidelines have been formulated for enabling NSQF alignment & approval of Diploma & Diploma (Advanced) Qualifications pertaining to the Vocational Education & Skills sphere. These shall apply only to NCVET recognised Awarding Bodies.

3. DIPLOMA QUALIFICATIONS

- 3.1. The term ‘Diploma’ is used variedly formally & informally across the world. Generally, it is used to denote a certificate awarded by an educational establishment to show that someone has successfully completed a course of learning. Such courses of learning are often of higher level in a focused area of the same subject. Sometimes a diploma represents a specific academic award usually earned in professional/vocational courses.
- 3.2. Therefore, a Diploma in Vocational Education & Training & Skilling would mean a NSQF aligned & approved qualification of a higher order in a specific field leading to a focused job or learning. Thus, the basic features of Diploma Qualification are as follows:
- It is a long-term qualification
 - It is of higher order learning i.e. higher than school education but not leading to a degree except under provisions of lateral entry into any degree program
 - It is generally a focused or specialized field of learning leading to a vocation/job role in the market.

4. CURRENT SCENARIO

- 4.1. Technical & Professional courses under the guidelines of government regulators like AICTE and UGC from their recognized institutions lead to the grant of formal ‘Diploma/Post/PG Diploma’ certification. Such awards are largely accepted for government recruitment & lateral entry into higher-level technical/general education.
- 4.2. In addition, there are various independent, not regulated, organizations in the ecosystem that also grant Diploma certification upon completion of their courses/training. These diplomas are not recognized by AICTE/UGC and are generally not eligible for government recruitment & lateral entry into higher-level general education.
- 4.3. Unlike the term ‘degree’ which is regulated by the UGC Act, the use of the term ‘diploma’ is not restricted under any Act. This allows any entity to grant Diploma certificates to the learners. However, such entities cannot use the terms ‘duly approved’ by AICTE/Central/State government institutions etc. while certifying the learners.
- 4.4. The current ecosystem for grant of diplomas in the country including AICTE, UGC & others has been detailed in **Annexure 2**.

5. NEED AND URGENCY FOR BRINGING DIPLOMA QUALIFICATIONS IN SKILLING

- 5.1. **Creating Aspiration:** The vision of Hon’ble PM is to make India the Skill Capital of the world. For achieving this goal, it is imperative that the VET & skilling programs have standing & value in the ecosystem so that they are desired by the learners. Currently, learners from the VET and skilling ecosystem can only obtain a certificate for all courses undertaken by them. Diploma nomenclature holds a reputation in the ecosystem and allowing NSQF aligned & approved Diplomas shall not only enhance the aspiration towards vocational education, training & skilling programs in the minds of learners but also increase employability through enhanced recognition of certification.
- 5.2. **Creditisation:** The upcoming National Credit Framework (NCrF) provides for creditisation of all educational & vocational qualifications encompassing school, higher and vocational education, training & skill programs. The NCrF gives equal weightage to all types and streams of learning including vocational education, training & skilling. This shall enable a learner having an NSQF-aligned & approved diploma

to earn credits similar to any other educational program of similar duration & NCrf levels. This shall not only provide him/her with accumulation and utilization of credits for various purposes like multiple entry & exit, and progression into other streams including general education and lifelong learning but also give NSQF Diplomas an equal footing in both the learning sphere & job market.

- 5.3. Providing ME-ME Pathways:** Formal Diploma qualifications may enable forward linkages to general education like current polytechnics have pathways to engineering degrees.
- 5.4. Standardisation and Quality Assurance:** NSQF qualifications occupy a large space in the Vocational Education & Skills ecosystem but only certificates are being awarded to most learners. The Diploma certifications offered in the skills ecosystem by various institutions are largely unregulated which often leads to confusion & misinterpretation in the minds of learners, academia & industry. Also, due to lack of standardised norms, syllabi and content the learning outcomes vary hugely from one Diploma Qualification to another. Therefore, there is a need for formalising the Diploma qualifications through standardised norms, parameters & procedures for infusing quality assurance in them.
- 5.5. Integration and Equivalence with General Education:** With the advent of NEP 2020 & NCrf the concept of holistic education including cross stream learning shall happen in more educational institutions. This will provide also a learner holding a formal Diploma qualification with opportunities not just limited to the technical or vocational sphere, but also in general education. With embedding of vocational education in higher education models being enabled, Diplomas will provide for integrated learning options.
- 5.6. Enabling higher order (Diploma) Qualifications across sectors in VET & Skilling:** NSQF approved Qualifications currently exist across sectors but only certificates are being awarded in these. The current AICTE Diploma programs provide for award of Diploma in only technical fields of Engineering and few professional fields like Paramedical and Management sectors. Therefore, there is a vast gap and need for Diploma Qualifications in other sectors like Agriculture, textile, Mining, BFSI etc. NSQF aligned & approved Diploma qualifications that would cater to all these sectors including futuristic courses run in partnership with industry. This will help in ensuring faster spread of vocationalisation across all the corresponding sectors and the educational spectrum/ladder enabling achievement of objectives as set in NEP 2020.
- 5.7. Industry Recognition:** The nomenclature 'Diploma' holds a reputation & recognition in the industry & job market. Thus formalising it and awarding a 'Diploma' to learners shall enhance employability & aspiration. There are sectors where Diplomas have been granted by the entities not regulated by AICTE or UGC e.g. APTECH & NIIT in IT domain, and are well accepted by the industry. Formalising such diplomas especially in areas like Finance & technology where already the acceptance of such programs exists will further strengthen the reputation & recognition of Diploma Qualification in VET & skilling.
- 5.8. International Mobility:** The enhanced recognition & reputation in the industry of a Diploma is not limited to the national job market but it holds true internationally also. We already see the demand for diploma holders throughout the middle eastern countries. Therefore, expanding the scope of Diploma certification across sectors shall enhance the international mobility of the learners too. Further, by enabling equivalence with international qualification frameworks leading to mutual recognition through formalisation of Diploma Qualifications shall facilitate such mobility.

6. FRAMEWORK FOR DIPLOMA/DIPLOMA (ADVANCED) IN VET & SKILLING

- 6.1.** It is clear from the above-mentioned section that there is an established need for formalizing the Diploma Programmes for Vocational Education, Training & Skilling ecosystem; the award of Diploma is not restricted as that of Degrees under any Act, and there is a need to formalize the Diploma mechanism for VET & skilling so that the misuse of Diploma is curtailed and the aspirational value attached with the certification is made accessible formally to all VET & Skilling learners.

7. BASIC PRINCIPLES

- 7.1. Clear Separation:** A clear distinction between the regulatory space of AICTE & NCVET shall be ensured thereby avoiding any regulatory overlap. NCVET shall approve Diploma Qualifications for Vocational Education & Training and Skilling sphere only.
- 7.2. NCVET Recognition:** Only the NCVET-recognized Awarding Bodies shall be able to implement the

Diploma Qualifications. NCVET shall prescribe additional norms for Awarding Bodies who desire to run Diploma Qualifications to establish requisite infrastructure & other resources.

- 7.3. NSQF Compliance:** All Diploma Qualifications must be aligned to National Skills Qualification Framework (NSQF) and approved by the National Skills Qualification Committee (NSQC). All the NSQF norms & compliances as prescribed by NCVET from time to time shall be duly complied with.
- 7.4. Compliance with AICTE norms:** In addition to the NSQF norms as stated in the paraabove, all Diploma Qualifications shall adhere to the prescribed minimum AICTE norms related to entry requirements & duration, level of courses, etc. This shall ensure the quality & standard of the Diploma Qualifications under VET & Skilling sphere thereby paving the way for similar recognition by the industry.
- 7.5. Equivalence:** These Diploma qualifications shall adhere to the NSQF norms related to the grant of Diploma/Diploma (Advanced) and AICTE norms in terms of duration, entry requirement, etc., as detailed at **Annexure 3**. Since these Qualifications will adhere to the norms & standards of both the regulators i.e. AICTE & NCVET, they shall attain the same NCrf levels & Credits as the AICTE Diploma Programmes. A snapshot of placement of NSQF-aligned & approved Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications along with AICTE & UGC Diploma Programmes is given at **Annexure 3**.
- 7.6. Detailed & Comprehensive Assessment:** The Qualifications shall be subjected to much detailed assessment process through quality-assured agencies, assessors & processes.

8. IMPLEMENTATION AND OPERATIONALIZATION

- 8.1. Types of Diploma:** As currently exists in the AICTE system for Vocational Diplomas, two types of Diplomas shall be formalized through NSQF alignment & approval namely, Diploma & Diploma (Advanced).

8.2. Entry Requirements and Duration

Type	Entry Requirement	Duration (In years or hours) *	Years of Learning	NCrf Level	Credit Earned Yearly	Points	Cumulative Credit Points
Diploma	10 th pass	3 years/ 3600 hrs	1 st Year	3.5	140	480	
			2 nd Year	4	160		
	Lateral Entry (in second year of Diploma):	2 years/ 2400 hrs	3 rd Year	4.5	180	340	
			2 nd Year	4	160		
	12 th pass in relevant subject or 2 year NTC/ NAC after 10 th in relevant trade		3 rd Year	4.5	180		
Diploma (Advanced)	12 th pass in relevant subject or 2 year NTC/NAC after 10 th in relevant trade	2 years/ 2400 hrs	1 st Year	4.5	180	380	
			2 nd Year	5	200		

*The total duration should ideally be in multiple of 30s for easy creditisation and must necessarily include the Employability Skill NOS.

A learner must complete the Diploma or Diploma (Advanced) Qualification [3 years after class 10th for Diploma and 2 years after class 12th for Diploma (Advanced)] within 7 years from the date of admission/enrolment into the programme.

8.3. Structure of Diploma Qualifications

- 8.3.1. Diploma Qualifications:** The Diploma Qualification of three years after class 10th leads to accumulation of 120 credits i.e 40 credits per year. The duration of this three-year Diploma Qualification is 3600 hours i.e. 1200 hours per year. The Diploma (Advanced) Qualification is of 2400 hours (i.e 1200 hours per year) duration after class 12th leading to accumulation of 80 credits i.e

40 credits per year.

Broadly, a Diploma and Diploma (Advanced) Qualification shall be structured as below:

- a. **Core subjects:** Core subjects contain those subjects which are directly related to the job role(s) mapped against the Diploma Qualification. 65 percent of the qualification shall comprise of such core subjects. To provide flexibility in design and enhanced options to the learner these core subjects may be further divided into mandatory and elective subjects as follows:
 - i. **Mandatory subjects:** These contain competencies which are essentially required to be performed for the job role mapped against the Diploma. A Diploma Qualification must contain at least 50 percent of the total qualification as mandatory subjects.
 - ii. **Electives:** These contain competencies which are essential in nature but may be replaced by a set of other competencies which are equally effective in order to perform a job role mapped against the Diploma Qualifications. Therefore, a learner may be given a flexibility to choose between a set of competencies formed as electives. A diploma qualification may contain up to 15 percent of the total qualification as elective subjects.
- b. **Non-core (Interdisciplinary/multi-disciplinary) subjects:** To realize the vision of the NEP 2020, learning in interdisciplinary subjects shall be promoted under the Diploma Qualifications thereby making the qualifications holistic and multidisciplinary. Accordingly, as per the provisions of NCrF, the Diploma Qualification shall contain 25 percent of the total qualification as non-core subjects. These subjects are set of subjects which are not mandatorily required to be performed under a job role. However, these subjects must enhance the skills and competencies of the learner which, in turn, shall make him or her more equipped to perform the job role mapped against the Diploma Qualification. Therefore, these subjects might not be directly related to the job role but shall help in either quality improvement or incorporating innovation in order to enhance the core skills and competencies required for the job role.
- c. **Employability Skills (ES):** To enhance the employability of the learner NCVET has approved NOSs on employability skills varying from 30 to 120 hours. These contain 12 different modules on various skill sets required to make them industry ready and overall better citizens. A diploma qualification must contain the employability skills as follows:
 - **Diploma Qualification - 240 to 360 hours***
 - **Diploma (Advanced) Qualification – 180 to 240 hours***

**In case an Awarding Body opts for less than 360 hours for Diploma Qualification and 240 hours for Diploma (Advanced) Qualification, the remaining hours may be included as part of Core Subjects.*

An Awarding Body must ensure that these ES learning hours are spread across all semesters and there is no semester which is without an ES NOS. Accordingly, it becomes mandatory to include at least a 30 hours NOS in a semester. It must also be ensured that the ES NOSs are included in a manner that a hierarchical progression is formed from preceding semester to the next. In other words, the basic components of ES should be included in initial semesters followed by advanced components in later semesters.

An Awarding Body may either utilize already NSQF aligned and approved ES NOSs or develop its own ES NOSs. While developing its own ES NOSs an Awarding Body must ensure that these NOSs include the modules which form part of NSQF aligned and approved ES NOSs. Currently, the ES NOSs include 12 modules as below:

- i. Introduction to Employability Skills;
- ii. Constitutional values/Citizenships;
- iii. Becoming a professional in 21st Century;
- iv. English Skills;
- v. Career Development & Goal Setting;
- vi. Communication Skills;
- vii. Inclusion, Gender Sensitivity, PwD etc.;
- viii. Financial & Legal Literacy;

- ix. Digital Literacy & Skills;
- x. Entrepreneurship;
- xi. Customer Service; and
- xii. Job readiness and exam preparation

However, for higher education incorporation of higher order employability skills which make a learner not only highly employable in the contemporary job market but also make him/her future ready is imperative. Keeping in line with the future of work requirements the employability skills are further being rationalized and strengthened(work in progress) for different National Credit Framework (NCrF) Levels by adding higher order skills like:

- i. Critical thinking and problem solving
- ii. Creative thinking and innovation
- iii. Analytical Thinking
- iv. Adaptive Thinking
- v. Design Thinking & Creativity
- vi. Computational thinking
- vii. Social intelligence
- viii. Cross cultural competency
- ix. New media literacy
- x. Virtual collaboration
- xi. Decision Making
- xii. Conflict resolution and negotiations
- xiii. Vasudhaiva Kutumbakam: वसुधैव कुटुम्बकम्: one earth one family one future

These ES NOSs with such higher order skills shall be incorporated in Diploma & Diploma (Advanced) Qualifications, once developed and aligned to NSQF.

8.3.2. A brief snapshot of the Diploma and Diploma (Advanced) Qualification structure is given below:

Components	Percentage(%) composition	Duration				Credits per Semester
		Diploma(3 years)	Diploma (Advanced)2 years)	Yearly	Semester- wise	
Core subjects (Mandatory)	50	1800	1200	600	300	10
Core subjects (Elective)	15	540	360	180	90	3
Non-Core	25	900	600	300	150	5
Employability Skills (ES)*	10	360*	240*	120*	60*	2
TOTAL	100	3600	2400	1200	600	20

**The figures are indicative. An AB may opt for any duration between 240 to 360 hours in three years for a Diploma and between 180 to 240 hours in 2 years for a Diploma (Advanced) with at least a 30 hour NOS in each semester as explained in para 8.3.1. (c) above.*

8.4. Multiple Entry and Multiple Exit (ME-ME) Options: As envisioned in NEP and as per the provisions of NCrF multiple entry and exit options may also be provided to the learners pursuing Diploma and Diploma (Advanced) Qualifications. Any learner exiting a Diploma or Diploma (Advanced) Program after completion of each semester (6 months) shall be issued a certificate after successful assessment. These certificates will indicate the appropriate NSQF/NCrF levels and commensurate credit points earned by the learner. This shall also enable a learner to re-enter a Diploma/Diploma (Advanced) Program based on the certificates at later intervals of time truly enabling and operationalizing the ME-ME provisions of NCrF. However, a learner must complete the Diploma or Diploma (Advanced) Qualification within 7 years from the date of admission/enrolment into the programme as mentioned in para 8.2 above.

In line with the ME-ME provisions explained above, the Diploma and Diploma (Advanced) Qualifications shall be designed in a manner that learning in each semester amounts to an independent qualification leading to a job role recognized by industry. While designing the semesters of a Diploma/Diploma (Advanced) Qualification an Awarding Body must ensure that the Qualifications in every subsequent semester are hierarchical in nature providing progression from onese semester to another or are related and form part of the bigger job role corresponding to the Diploma/Diploma (Advanced) Qualification. Such qualifications must also be independently mapped to the appropriate NCrF/NSQF level with commensurate credits.

8.5. NSQF/NCrF Levels: As per the existing norms, the AICTE pegs Diploma (Engineering) and Post Diploma (18 months or 2-year duration after Diploma) at level 4 and 5.5 respectively. UG Diploma of AICTE is pegged at level 5. Similarly, the NCVET Diploma shall be pegged at level 4.5 and Diploma (Advanced) at level 5.

8.6. NCVET Recognition Process

8.6.1. Eligibility Criteria

A. Types of Institutions where Diploma Programmes can be implemented:

- i. AICTE and UGC-recognized institutions and universities
- ii. Institutes/organizations of central or state governments like NSTI, NPTIs, CDAC, NIELIT, CIPET etc. and affiliated/onboarded centres of such institutes/organizations
- iii. Institutions recognized by State Technical Boards for Diploma programmes, Institutions recognized under Skill Hub Initiative (SHI),
- iv. Reputed industry and industry bodies.
- v. Institutes/centres empanelled/on-boarded by Awarding Body as per the NCVET Awarding Body guidelines. Only those institutes shall be considered which have proven track record of quality training demonstrated through parameters like industry recognition/linkages, high placement record and appropriate infrastructure etc.

B. Other Conditions for the Institutes:

Additionally, the institutes will have to showcase quality in terms of the following conditions. **However, these conditions shall not apply to Type (i) and (ii) institutions mentioned in para 8.6.1.A (given above) and those shall be automatically eligible for implementing Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications.**

- i. **Prior Experience:** Institutions should be able to provide proof of prior experience in having continuously imparted quality and consistent technical and/or vocational education at the higher level recognized by regulators like UGC, AICTE, NCVET, etc. or by industry of repute and scale. Such institutes must have –
 - Trained a minimum of 500 learners either in technical/vocational/professional education in the preceding three years (cumulatively) from the date of submission of proposal for implementing Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications;
 - Should have been engaged in training or educational activities continuously for the last three years (allowance for intervening COVID years)
 - The prior experience requirements may be relaxed by NCVET for niche areas, implementation in difficult terrain, LWE area etc. subject to reasoned justification along

with evidence.

- ii. **Industry linkages:** The institution should have tie-ups with industry bodies which is demonstrable through evidence like MoUs and agreements. Members/representatives from the industry should be part of the management/decision making of the institute for example board of directors, governing council etc.
- iii. **Infrastructure:** The following criteria shall be applicable with respect to the infrastructure of the institution where Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications are proposed to be implemented:
 - The faculty-student ratio shall be 1:30 or whatever is applicable by the respective University. The faculty will also include visiting faculty.
 - Basic amenities to run Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications like a laboratory equipped with appropriate tools and equipment, a library equipped with appropriate level books, an internet facility, and restrooms need to be defined by the Awarding Body and to be strictly complied by the institution.

The term “laboratory” for the purpose of this guideline shall mean any area with relevant equipment to allow the smooth operation of practical sessions, fieldwork, demo work, simulation etc. which contribute to the learning of the candidate to acquire competencies as listed in the Qualification. An institution may have in-house lab or may showcase an external arrangement for the same. However, such arrangement shall be authenticated by valid evidence.

- iv. **Placement:** The institute must have demonstrated quality in terms of high placement percentage for the past batches trained by it. It must have necessarily placed at least 60 percent of the total learners trained in the preceding three years. The placement shall include wage employment, self-employment and continued higher education corroborated by valid evidences.
- v. **Trained Trainers:** The institutions implementing Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications shall only employ the trained trainers and master trainers with the following credentials:
 - **For Trainers:** The entry requirement for a trainer has to be at least one level higher (preferably level 6 and above) and a minimum of 2 years of industry or training experience in the relevant domain (with at least 50% of such experience as industry experience). This shall be ensured by the concerned AB while establishing the minimum entry requirements. Further qualifications/requirements may be referred to as mentioned in the ToT guidelines released by NCVET from time to time.
 - **For Master Trainers:** A master trainer is a person who is highly skilled and knowledgeable in a specific field and is responsible for developing trainers in those fields by imparting training and skills of higher order to such prospective trainers. Any certified trainer after 5 years of training experience (with preferably some industry experience) gets eligible to become a Master Trainer.

Further qualifications/requirements may be referred to as mentioned in the ToT guidelines released by NCVET from time to time.

- vi. **Trained Assessors:** The institute implementing Diploma Qualifications must ensure that there is availability of trained assessors and assessment infrastructure as per NCVET Guidelines.

8.6.2. Process for Approval: The approval process for ABs to run Diploma/Diploma(Advanced) Qualifications is outlined below:

STEP 1: Proposal Submission

The AB desirous of implementing the Diploma/Diploma (Advanced) Qualification will need to furnish a proposal in the “form for approval” template provided at **Annexure 4** detailing the basic details like institution name, nodal contact and compliance to other conditions for institutes like prior experience, industry linkages, arrangement for trainers, arrangement for assessors etc.

**STEP 2: Examination of the proposal**

The proposal received for the Diploma/Diploma (Advanced) qualification will be submitted to NSQC for approval along with the requisite non-refundable processing fee as prescribed by NCVET. NCVET shall review the same as per the Diploma/Diploma (Advanced) guidelines. NCVET may devise an internal mechanism to scrutinize the proposal and may invite external experts for necessary guidance and support. NCVET shall also create a pool of Subject Matter Experts (SMEs) for taking expert inputs as and when required by it. This pool shall contain members from academics, industry, government & other relevant groups.

**STEP 3: Decision regarding approval**

A communication regarding the approval or non-acceptance of the proposal, as the case may be shall be conveyed to the AB by NCVET. In cases, where approval is granted, the number of course wise seats based on the ABs proven capacity and credibility shall also be conveyed by NCVET.

**STEP 4: NSQF Alignment and Approval of Diploma Qualifications**

All the Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications are to be aligned to NSQF and approved by the NSQC at NCVET.

After approval of the proposal of an AB regarding Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications by NCVET as mentioned in step 3 above, following cases may arise:

Case I: Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications already NSQF aligned and approved

In this case, an official order regarding the same shall be issued and displayed on NCVET website. The entire process of approval will take a total of 60 days starting from the day of submission of the complete proposal in the requisite format/template and a non-refundable processing fee by AB.

Case II: Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications that are not NSQF aligned and approved

In this case, a Letter of Intent (LoI) will be issued conveying the number of course wise seats based on its proven capacity and credibility. However, the AB shall get the proposed Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications NSQF aligned and approved as per standard NSQF norms/templates/SOPs/level descriptors defined by NCVET from time to time (visit www.ncvet.gov.in for details of the process). They will also comply with AICTE norms related to entry and duration. The concerned AB shall have to submit these Qualifications for NSQC approval within 30 days from the date of issue of LoI.

- 8.7. Other Critical Operationalization Requirements:** One of the senior faculty members in the institute shall be appointed as the “Diploma Coordinator” who shall be the nodal authority for all communications and monitoring purposes.
- 8.7.1.** The instructional area will be of appropriate size as advised by AB with a batch size of maximum 30 students per batch. NCVET may allocate less than 30 seats to an institution based on its demonstrated capacity and quality. An institution shall be eligible for one batch per Diploma/Diploma (Advanced) Qualification. However, under exceptional circumstances institutions with proven capacity and reputation may be considered for the allocation of additional batches by NCVET.

- 8.8. Recognition Period:** The initial tenure of NCVET recognition for implementation of Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications shall be one (01) year. The number of batches in a year shall be approved by the NCVET based on the capacity of the AB concerned. Within the year of recognition to run a Diploma/Diploma (Advanced) Qualification by NCVET, an Awarding Body may initiate Diploma/Diploma (Advanced) batches in approved institute(s) in the months of January and/or May and/or September. Batches formed in this year's cycle shall complete the allocated duration
- i.e. 3 years for Diploma after 10th & 2 years for Diploma (Advanced) after 12th unless the batch/institution is derecognised by NCVET based on grave discrepancies reported and/or substantial gaps identified during monitoring.
- 8.8.1.** Such tenure shall be extended at the end of each year for a further period of one (01) year upon such request from the Awarding Body. This extension shall be based on the performance of the Awarding Body.
- 8.8.2.** Tenure of recognition for implementation of Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications is subject to recognition of an entity as an Awarding Body by NCVET and its tenure to implement Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications cannot go beyond its recognition as an AB by NCVET in any case.
- 8.8.3.** Grant of recognition is subject to yearly monitoring. Based on the performance NCVET may take necessary corrective/punitive actions including discontinuation of recognition.
- 8.9. Fee**
- 8.9.1. Processing Fee:** An Awarding Body applying for approval to implement Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications will be required to deposit a non-refundable processing fee of Rs. 25000/- per qualification through the prescribed process. This fee will remain the same for both the Diploma and Diploma (Advanced) Qualifications.
- 8.9.2. Security Deposit:** Once an Awarding Body is granted approval by NCVET to implement Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications it shall keep security money in form of a Fixed Deposit Receipt (FDR) in a bank till the completion of Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications. Such security money shall be Rs. 5000 per seat based on the number of seats approved by NCVET. For example, if NCVET grants recognition to an entity to run a batch of 30 candidates the security money shall be 5000 multiplied by 30 i.e. 1,50,000/-. Such arrangement has been provided to safeguard the interest of the learners. It is to be kept in mind that this is not a fee which is charged from the Awarding Body, instead it is a deposit kept with the bank till the batch is running. Once the batch is over, there is no requirement to keep any such deposit.
- 8.9.3. Fee from Learners:** An Awarding Body recognized by NCVET to implement Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications must state a clear policy and norms regarding the fee which it will charge with respect to Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications from the candidates/learners. Such policy/norms shall be very explicit and must be displayed on the website of the AB.
- 8.10. Curriculum Structure:** The curriculum of a Diploma/Diploma (Advanced) Qualification shall be designed in a manner that at least 60% and preferably more than 70% of the total curriculum consists of vocational skills. This shall include hands on training, on the job (OJT) training and apprenticeship which are sector-relevant and industry-vetted amongst other practical components. The relevancy and currency of curriculum shall be ensured for industry and job connect.
- 8.10.1.** Apart from following the standard NSQF norms related to curriculum design development & approval, additional measures shall be established to enhance the role of industry participation while designing the curriculum of a Diploma/Diploma (Advanced) Qualification. A separate annexure for curriculum structure of a Diploma/Diploma (Advanced) Qualification shall be issued along with the Qualification File Template for NSQF approval by NCVET.
- 8.10.2.** All the Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications shall be in the National Occupational Standard (NOS) format based to enable clubbing of NOSs, Qualifications, designing specializations, multiple entry multiple exit options and lateral entry options. This shall also enable creditization of NOSs and removal of duplicating content, if any.
- 8.10.3.** Since the Qualifications shall be NOS based, curriculum for individual knowledge & understanding component of each NOS shall be designed separately. Therefore, the complete curriculum of a Diploma/Diploma (Advanced) Qualification shall correspond to all NOS especially for their Knowledge (K) and Understanding (U) components. This shall also enable easy

clubbing of Qualifications of lesser duration & NOSs while designing a Diploma/Diploma (Advanced) Qualification and removal of duplicating contents which shall be further reflected in the curriculum.

- 8.10.4.** All the Qualifications shall necessarily include the Employability Skills which include the skills required to make a candidate job ready. NCVET has approved NOSs on ES for Qualifications at different NSQF levels and of varying duration. Same shall be applicable to Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications also. However, NCVET may require additional ES to be incorporated in the Qualifications at any time.
- 8.10.5.** To maintain the standard and repute of Diploma Qualifications it is imperative that similar curriculum structure to that of AICTE & UGC Diploma programmes is followed. Therefore, in line with the UGC & AICTE curriculum structure, following elements must form part of curriculum design of Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications also:
- a. Basic Information like name, NSQF/NCrF levels, duration, credits, validity, entry requirements etc.
 - b. Key Learning Outcomes for each Module or NOS with following components:
 - i. Knowledge and understanding
 - ii. General, technical and professional Skills required to perform and accomplish tasks
 - iii. Application of knowledge and skills
 - iv. Employability Skills
 - c. Trainer & Assessor requirements along with their qualifications (academic/vocational) and experience, for engagement
 - d. List of Tools & Assessments
 - e. Mode of training – Module/NOS wise
 - This should necessarily include OJT/Project Work/Apprenticeship/Internship
 - f. Assessment Strategy
- 8.11. Assessment:** The assessment process for Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications shall be comprehensive and quality-assured. Only the top-performing AAs shall be eligible to conduct Diploma assessments based on their rating. Till such time that the ratings of AAs are published by NCVET, assessments shall be undertaken by the agencies notified by NCVET for this purpose. Additional measures shall be taken to infuse more norms & protocols with respect to the assessment of Diploma Qualifications. Such measures and the detailed assessment strategy are provided at **Annexure 5**.
- 8.12. Learning Content:** Since the Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications shall be for Vocational Education, Training & Skilling, they would mandatorily consist of at least 60% (recommended 70 percent) of skills component. The respective AB shall ensure that the content is available in the vernacular where it intends to impart the qualification. They shall ensure the content is compatible with the online mode, if possible, of learning to allow flexibility.
- 8.13. Award of Diploma:** Certification shall be carried out as per the NSQF certification norms.
- 8.13.1** A NCVET recognized Diploma/Diploma (Advanced) for all purposes shall mean a diploma certification carried out by an Awarding Body authorized by NCVET to do so, as under the provisions and with effect from the date of issuance of these guidelines.

9. PROMOTING PATHWAYS TO DIPLOMA

- 9.1.** ABs shall create enabling provisions for learners to club the related qualifications completed over years of learning through credit accumulation & transfer to acquire a Diploma/Diploma (Advanced) Qualification, subject to fulfilment of entry requirements as given in para 8.2 above and compliance with structural design as mentioned in para 8.3 above. Such clubbing and creation of pathways might also require development of bridge courses by ABs. Keeping in view the provisions of NCrF, respective ABs shall develop policy on clubbing of qualifications, assessment strategies regarding the same and other

related aspects and submit the same to NCVET before implementation. Providing for pathways to Diploma Qualifications shall make other NSQF qualifications also aspirational by providing them with an additional progression route and promoting lifelong learning as envisaged in NEP 2020.

10. MONITORING

- 10.1.** All the ABs implementing Diploma/Diploma (Advanced) Qualifications shall be subjected to NCVET Guidelines for Recognition & Regulation. Additionally, NCVET may prescribe extra parameters & compliances for institutions running these qualifications which may include provisions like a third-party inspection.

11. PROGRESSION

- 11.1.** The Diploma qualifications have a natural progression to Diploma (Advanced) in the relevant field. Prospects of lateral entry and progression of Diploma/Diploma (Advanced) holders in higher-level educational programs will also be explored through consultations with AICTE and UGC.

12. GRIEVANCE REDRESSAL

- 12.1.** A learner shall be able to register his/her grievance with respect to training, assessment, certification etc. with NCVET as per the grievance redressal policy of NCVET available at NCVET website (www.ncvet.gov.in). Similar provisions for institutions and ABs to register and get redressal for their grievances are available in the mentioned guidelines.

ANNEXURE 1: COMPOSITION OF COMMITTEE AND ToR

A. Composition of the Committee for the formulation of guidelines on the approval of NSQF alignment of Diploma / Advanced Diploma qualifications

GV	Dr. Vinita Aggarwal, Executive Member, NCVET	Chairperson
1.	Representative of UGC, Member	
2.	Representative of AICTE, Member	
3.	Representative of DGT, Member	
4.	Representative of NIELIT, Member	
5.	Representative of MSDE, Member	
6.	Representative of PSSCIVE, Member	
7.	Representative of FICSI, Member	
8.	Representative of Agriculture SSC, Member	
9.	Representative of NASSCOM, Member	
10.	Representative of Tourism & Hospitality Skill Council, Member	
11.	Representative of Leather Sector Skill Council, Member	
12.	Col Santosh Kumar, Director, NCVET, Member Secretary	

B. The detailed Terms of Reference (TOR) of the committee shall be as follows: -

- i. To identify parameters for delineating qualifications which can be categorized as Diploma / Advanced Diploma qualifications under NSQF.
- ii. To frame a mechanism for clearly establishing the type of Diploma/Advanced Diploma Qualifications falling under the purview of Vocational Education & Training (VET) & Skills, thereby clearly segregating the regulatory scope of academic education, technical education & VET/Skills.
- iii. To suggest process and procedure of approval and NSQF alignment of Diploma /Advanced Diploma qualifications pertaining to VET and skill domain.

- iv. To lay down various standardized parameters like duration, entry requirements, completeness, levels, etc., for such qualifications.
- v. To work out interlinkages and mechanisms to establish equivalence between Diploma / Advanced Diploma qualifications of various regulators like UGC, AICTE and NCVET.
- vi. To lay special infrastructure/staff, processes and content requirements of TPs of ABs who could be authorised to offer such courses.
- vii. To formulate guidelines for NSQF alignment and approval of qualifications based on 2(a) to (e) above.
- viii. To consider any other related matter, if any

ANNEXURE 2: CURRENT DIPLOMA ECOSYSTEM IN INDIA

1) All India Council for Technical Education (AICTE):

- a) **Diploma Engineering (Polytechnic):** These are the Diploma programs offered largely in the fields of Engineering leading to a specified vocation. The curriculum of such programs is available for Universities, State Technical Education Boards, and Institutions for updating and adoption. These are

i) Diploma Programmes:

- Largely, the duration of a Diploma programme is either 3 or 4 years after passing class 10th depending upon the field. However, there are few exceptional fields where the entry requirement is a 12th class pass with a duration of 2 or 3 years like hotel management & pharmacy.
- Generally, there is a provision of lateral entry for 12th pass candidates into the diploma programmes where the entry requirement is 10th class pass.
- Post completion of diploma after class 12th class there is also a provision for lateral entry into engineering degree programs.
- A few examples of such Diploma Programmes are as given below:
 - Diploma in Pharmacy is of 2 years for class 12th pass candidates
 - Diploma in Architectural Assistantship is of 3 years for class 10th pass candidates
 - Diploma in Engineering and Technology is of 3 or 4 years for class 10 pass candidates

- ii) **Post Diploma Programmes:** Post Diploma programs can either be of 18 months, or 2 years duration. The minimum eligibility for such programs is having passed the Diploma programs.

<https://www.aicte-india.org/sites/default/files/approval/2023-24/APH%202023%20-%202024.pdf>

b) Existing guidelines for the establishment of new technical institution Requirements and Eligibility

- i. The Promoter Trust/ Society/ Company shall have the Land as required and its Lawful possession with clear title in the name of the Promoter Trust/Society/Company on or before the date of submission of the application.
- ii. Requirements for Technical Institutions shall be as per the norms specified in Chapter VII of the Approval Process Handbook.
- iii. The building plan for the entire duration of the Programme(s) of the Institution shall be prepared by an Architect registered with the Council of Architecture/ Licensed Surveyor and shall be approved by the Competent Authority as designated by the concerned State Government/ UT. However, buildings for the First Year should be completed in all respects as per the Infrastructure requirements.

iv. The Head of the “Technical Institution” shall be named as the “Principal/ Director” having qualifications as per AICTE norms as defined for Principals in a Programme of the Technical Institution.

c) **Vocational:** AICTE approves the technical institutes that are willing to run B.Voc./ D.Voc/ Diploma of Skill (D.Skills). AICTE-approved Technical Institutions are eligible to implement these courses.

i) Bachelor of Vocation B.Voc:

The duration of the B.Voc program is 3 years and the eligibility for joining the B.Voc program is a Class 12 pass. There are options of multiple entry multiple exit (ME-ME) in a B.Voc program -

- if a candidate exits the programme after completing the first year he/she is granted a Certificate; and
- if the exit is after completing the second year then a certificate of Diploma is awarded to the candidate. These are pegged at NCrF/ NSQF levels 4.5 & 5 respectively.

ii) Diploma of Vocation D.Voc (Under revision):

The duration of the D.Voc program is 3 years and the eligibility for joining the D.Voc program is Class 10 pass. The awarding body is the Board of Technical Education. On completion of D.Voc, students may take lateral entry in 2nd year of Engineering in the same or allied sector.

iii) Diploma of Skills D.Skills:

The duration of the D.Skills program is 3 years and the students who have not passed Class 10 are eligible for this program. The awarding body is the Board of Technical Education. Currently there is no equivalence and vertical mobility for Diploma of Skill (D.Skills).

iv) Post Graduate Diploma:

These are Diploma programmes offered after graduation for a duration of 2 years. In some cases, the duration might be less than 2 years (eg. Executive programmes) but in all cases it is more than 1 year. These programmes are considered equivalent to a post graduate degree.

2) University Grants Commission (UGC):

Diploma/certificate courses are not specified by UGC. However, universities can run the diploma / certificate courses with due approval of its governing councils/statutory council wherever required. However, for BVoc programmes, UGC has specified Guidelines which allow grant of Diploma & Diploma (Advanced) for students exiting after completing 1st & 2nd year respectively.

3) Others:

Private institutions granting diploma certificates to learners which are not covered under AICTE norms.

ANNEXURE 3: DIPLOMA/DIPLOMA (ADVANCED) UNDER VARIOUS REGULATORS

AICTE Diploma Type	NCVET Diploma Type	Entry Requirement	Duration	NCrF Level	Credits/ year	Credit Points Earned
Diploma Engineering*	Diploma	10th Pass	3 years/3600 Hrs.	3.5	40	140
				4	40	160
				4.5	40	180
						Total:480

Lateral Entry in Diploma Engineering	Lateral Entry in Diploma	12 th pass in relevant subject or 2 year NTC/NAC after	2 years/ 2400hrs	4	40	160
		10 th in relevant trade		4.5	40	180
UG Diploma	Diploma (Advanced)	12th pass	2 years/2400 hrs.	4.5	40	180
				5	40	200
						Total:380
Post Diploma	-	Diploma pass	18 months to 2 years	5.5	40	220

* Some exceptional Diploma Programmes of AICTE like Hotel management & Pharmacy have entry requirements as 12th Pass with varying duration.

** The lateral entrant will enter into 2nd Year of diploma of AICTE

ANNEXURE 4: TEMPLATE OF 'FORM FOR APPROVAL'

Form for Approval of Qualifications

I. Basic Details

1. Name of the institution
2. Address
3. Nodal Contact Person
4. Contact Number

II. Qualification details

5. Name of the Proposed Diploma/Diploma (Advanced) Qualification
6. Proposed Duration
7. Proposed Entry Requirements
8. Whether **this Qualification is approved and/or implemented by**

- **AICTE OR UGC**

OR

- **Any other institution/university/college regulated by AICTE/UGC**

If yes, pls mention the details

9. Whether the qualification is already NSQF- aligned? Yes/No
10. If yes, the date of approval and validity
11. Justification
(Need to implement said qualification)
12. Batches and no of seats being applied for
13. Number of trained trainers, master trainers, and ToT. Also, indicate the qualification of trainers
14. Detailed assessment strategy and tools including blended learning ratio (table mentioned)*
15. Arrangement for trained assessors and ToA

16. Arrangement for learning content

III. Recognition and Type

17. Existing Affiliation/Recognition

18. Type of institution (as per the types mentioned in 8.6.1.A)

IV. Prior Experience and Industry Tie-ups											
19. Prior Experience and Placement for the last three years											
S.No	Qualification Name	No. of Candidates Trained and Placed									
		Year 1			Year 2			Year 3			Total
		Trained (A1)	Placed (B1)	Placed % (C1)	A2	B2	C2	A3	B3	C3	
20. Evidence of industry tie-ups of AB in the sector/sub-sector of proposed qualification											
V. Infrastructure											
Existing Infrastructure											
21. Geotagged snapshot											
22. Total Area											
23. No. of classroom											
VI. Human Infrastructure											
24. Permanent faculty											
25. Outsourced faculty											
26. Administrative staff											
VII. Infrastructure for Tools and Equipment											
27. No. of laboratories											
28. Internet connectivity											
29. List of tools and equipment as per the qualification											

ANNEXURE 5: ASSESSMENT OF DIPLOMA/DIPLOMA (ADVANCED) QUALIFICATIONS

1. Assessment Strategy:

The assessments for the Diploma Qualifications shall be carried out in the following manner.

1.1. For Dual Category Awarding Bodies:

The assessments shall be carried out by the assessment wing/department of the Awarding Body. However, the firewall arrangements mentioned in the NCVET AB guidelines shall be ensured by the concerned AB.

1.2. For Standard Category Awarding Bodies:

The assessments shall be carried out by independent third-party NCVT- recognized assessment agencies. All the norms and procedures as specified under NCVET AB, AA, and Blended Learning Guidelines shall be adhered to. Since Diploma and Diploma (Advanced)s are long-term training programs, there shall be a requirement of continuous formative assessment of the candidates which is conducted internally on a regular and continuous basis in an independent and fair manner. Therefore, in addition, the concerned Awarding Body shall establish a separate and independent internal assessment wing/department for internal formative assessments of the candidates. The wing will also be responsible for assessment record keeping and shall be monitored periodically by NCVET.

The requisite infrastructure as detailed in the qualification and as required for assessment tools and methodologies mentioned in NCVET Blended Learning guidelines shall be ensured. The Awarding Bodies shall also lay down the minimum criteria in terms of education and industry experience for the assessors.

- 1.3. The ABs shall also ensure that all the assessors are duly trained and may prescribe mandatory industry representation for appropriate qualifications during assessments.
- 1.4. As explained above the ABs shall carry out the formative assessments of the candidates during the course of qualification. However, a summative assessment at the end of the course shall be undertaken in which successful passing by the candidate shall be mandatory to qualify the Diploma/Diploma (Advanced) program.
- 1.5. The concerned Awarding Body shall prepare a training & assessment calendar at the beginning of the session and publish it on its website. There should be a mechanism for fair allocation of an Assessment Agency/Assessors for conducting assessment for the particular batch based on job-role, sector and geography. The assessment should be conducted before the official end of the course duration. The assessment results should be published within 2 months from the last date of the entire examination schedule. The certificates to be distributed to the successful candidates within 1 month from the date of declaration of assessment results. The AB shall approve the pool of questions biannually and question banks quarterly which are prepared by AAs for the Diploma Qualifications.
- 1.6. The AB implementing the Diploma/Diploma (Advanced) qualifications shall clearly spell out the detailed assessment strategy related to that particular qualification while submitting the Qualification File for NSQF alignment and approval. This strategy shall be developed keeping in mind the individual requirements of the qualification, the NCVET AA and Blended Learning guidelines and AICTE/UGC norms.

2. Assessment Types

- 2.1. The process of formal written examinations in the assessment process now is getting redefined. The online examinations play a major role in the process of assessment these days. The assessment can be classified into Diagnostic, Formative, Summative, Ipsative, Norm referenced, Criterion referenced, Peer- to-peer randomized and self- assessments. The assessment of vocational skills qualifications is a combination of online/paper-based assessment together with a practical exam.

3. Assessment Tools:

The assessment process shall use a combination of following tools / processes as follows.

- a) Offline assessments and examination
- b) Assessments of learning are usually grade-based, and may include class tests, quiz, written exams, viva-voce, portfolios, final projects, and standardized tests, confirmative assessment.
- c) LMS based Proctored content delivery with in-built continuous/ formative/summative assessment to check learning outcomes. It is suggested to use an Open source LMS product, with creation of SCORM compliant content for interoperability.
- d) Online Question Bank: multiple-choice, pictographic inferential, matching, sequence hotspot, True/false, fill-in-the-blanks, file upload and essay.
- e) Group Examinations
- f) On-demand Examinations: Offer examinations on demand to offer more flexibility and student centricity.
- g) Assessment tools with built-in controls used for checking students' attention, understanding and assimilation of the subject.
- h) Assessment Engine with facility to check for learning outcomes.
- i) Proctored Open book examination: offline or online.

- j)** Minor / Major project work execution and evaluation.
- k)** Viva-Voce: offline, online.
- l)** Evaluation Interviews: offline, online.
- m)** Proctored Online with built-in controls, biometrics, security, evaluation etc.
- n)** Examination with built-in controls, biometrics, security, evaluation etc.
- o)** AR/VR/XR may also be used for assessments

Col. SANTOSH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./191/2024-25]